



वार्षिक लेखा 2014-15

पृथक सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट
एवं प्रबंधन के उत्तर सहित



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग
नई दिल्ली-110012

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन-पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा	3-4
4.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां	5-14
5.	आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां	15-21
6.	पूर्व अवधि समायोजन लेखा (अनुबंध-क)	22
7.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध-ख)	23-26
8.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को भुगतान की देय राशि के ब्यौरे का विवरण (अनुबंध-ग)	27
9.	नए डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध-घ)	28-34
10.	नए डीयूएस केन्द्रों को देय का विवरण (अनुबंध-ड.)	35
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध-च)	36
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध-छ)	37
13.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि का विवरण (अनुबंध-ज)	38
14.	प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध-झ)	39-54
15.	बाहरी व्यक्तियों को पेशगी (अनुबंध-ट)	55
16.	स्टाफ को पेशगी (अनुबंध-ठ)	56
17.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध-ड)	57
18.	प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी (अनुबंध-ढ)	58
19.	स्टाफ से पेशगी की वापसी (अनुबंध-ण)	59
20.	पीपीवी और एफआरए की उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां (अनुसूची 24)	60-62
21.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों की टिप्पणियां (अनुसूची 25)	63-67
22.	कैग की पृथक लेखा रिपोर्ट	??
23.	प्रबंधक वर्ग का उत्तर	??

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र

राशि (रुपये में)

कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	19,20,05,727	15,04,85,802
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	2	-	-
निर्धारित/स्थायी निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	11,19,07,885	5,72,12,802
योग		30,39,13,612	20,76,98,604
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8(A)	2,95,48,719	2,88,46,845
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास		2,29,26,480	2,10,04,948
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		66,22,239	78,41,897
पूंजीगत कार्य में प्रगतियां	8(B)	1,78,38,219	1,78,38,219
निवेश - निर्धारित/स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश - अन्य से	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशागियां आदि	11	27,94,53,154	18,20,18,488
फुटकर व्यय		-	-
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो)			
योग		30,39,13,612	20,76,98,604
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि (रुपये में)

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान/सहायता	13	15,92,47,151	15,00,23,396	85,00,000	85,00,000
शुल्क/चंदा	14	2,34,34,050	1,86,96,550	53,16,755	19,05,498
निवेशों से हुई आय	15	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	90,89,595	51,83,817	19,02,950	13,61,096
अन्य आय	18	5,92,111	42,417	24,750	-
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	19	-	-	-	-
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास)		19,64,351	31,51,754	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		-	-	(62,776)	-
योग (क)		19,43,27,258	17,70,97,934	1,56,81,679	1,17,66,594
व्यय					
स्थापना व्यय	20	4,43,66,494	4,10,80,100	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	21	4,29,38,870	4,20,33,831	-	61,10,817
अनुदान/चंदों आदि पर हुआ व्यय	22	7,69,77,128	6,43,97,379	-	-
ब्याज	23	8,223	1,321	762	-
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		19,64,351	31,51,754	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		10,21,682	1,20,32,641		
योग (ख)		16,72,76,748	16,26,97,026	762	61,10,817
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख)		2,70,50,510	1,44,00,908	1,56,80,917	56,55,777
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		-	-	-	-
कॉर्पस/पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)		2,70,50,510	1,44,00,908	1,56,80,917	56,55,777
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं अदायगियां

राशि (रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आदिशेष			1. व्यय		
क. मौजूद नकद राशि	15,000	10,000	क. स्थापना व्यय	3,13,87,246	2,69,69,070
ख. बैंक अधिशेष			ख. प्रशासनिक व्यय	1,88,64,275	2,73,93,982
एसबीआई (मोड लेखा सहित)	3,18,54,153	1,61,84,501	2. निधियों के विरुद्ध अदायगियां		
सिंडिकेट बैंक	26,29,758	58,28,425	क. विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ख व ग)	3,35,98,052	3,93,85,671
लेन-देन में वापसी	34,372	3,739	ख. नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध घ व ङ.)	2,65,58,725	2,30,61,424
एस बी आई जीन निधि	1,60,10,435	1,12,88,001	ग. संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध च)	-	11,83,254
एस बी आई (गुवहाटी)	14,409	17,160	घ. फील्ड जीन बैंक (अनुबंध छ व ज)	29,14,030	46,30,000
एस बी आई (रांची)	2,498	14,825	3. अचल सम्पत्तियों पर व्यय तथा पूंजी कार्य में प्रगति		
2. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	16,00,00,000	15,11,96,000	क. अचल सम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	7,52,849	7,04,129
3. बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज			ख. चालू पूंजी कार्य पर व्यय	-	-
प्राधिकरण निधि	64,38,698	16,94,768	4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध झ)	2,55,26,098	1,98,81,163
जीन निधि	12,50,057	5,41,753	5. बाहरी पक्षों को पेशगी (अनुबंध ट)	20,86,244	6,76,050
4. पौधा सुरक्षा भवन के निर्माण के लिए पेशगी	5,00,00,000	-	6. फैंकिंग मशीन को पुनः भरना	1,00,000	2,50,000
5. प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त पेशगियां (अनुबंध ढ)	4,90,995	8,27,471	7. संगठनों/संस्थाओं को योगदान	31,39,654	-
6. नए डीयूएस केन्द्रों से पेशगियों की वापसी	1,59,869	-	8. स्टाफ को पेशगी (अनुबंध ठ)	22,93,693	29,37,484
7. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			9. वित्त प्रभार	8,985	1,777
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	42,74,000	49,72,000	10. प्राप्त पेशगी के विरुद्ध अदायगियां	-	50,000
पीवीजे शुल्क	1,06,100	59,200	11. मियादी जमा	14,82,41,286	7,22,00,000
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	4,500	53,000	12. रद्दी डिमांड डाफ्ट की समाप्ति	60,000	-
वार्षिक शुल्क-जीन निधि	50,40,755	17,91,498	13. अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध ड)	45,58,621	43,58,258
पुराने समाचार-पत्रों, रद्दी की बिक्री	7,044	2,233	14. आदिशेष		
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,89,57,000	1,36,19,500	उच्चत - मौजूद नकद राशि	44,593	15,000
अन्य आय	25,296	5,666	प्राधिकरण 25000		
प्रकाशनों की बिक्री	1,890	17,220	रांची शाखा 19593		

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वाहन बीमे से प्राप्त दावा	-	9,867	ख. बैंक में शेष राशि	-	
विस्तार स्वीकृत के लिए शुल्क	-	4,500	भारतीय स्टेट बैंक (एमओडी सहित)	6,49,78,652	3,18,54,153
विभिन्न शुल्कों से प्राप्त राशि	19,70,000		सिंडिकेट बैंक	74,53,097	26,29,758
8. स्टाफ से पेशगियों की प्राप्ति: अनुबंधण	6,92,199	4,27,222	बैंक में लेन-देन	19,630	34,372
9. मियादी जमा का नकदीकरण	9,61,13,152	6,56,24,338	एसबीआई- जीन निधि	2,41,57,718	1,60,10,435
10. पुराने चैकों की राशि की वापसी	3,02,262	-	एस बी आइ (गुवहाटी)	19,910	14,409
11. जमा सिक्योरिटी	-	50,000	एस बी आइ (रांची)	3,024	2,498
12. अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए एफएओ से सहायता	3,71,940	-			
योग	39,67,66,382	27,42,42,887	योग	39,67,66,382	27,42,42,887

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रुपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 1 – कॉर्पस/ पूंजी निधि				
क) प्राधिकरण निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	12,67,73,530		11,43,51,772	
जोड़ें : प्राधिकरण निधि के लिए योगदान	7,52,849		11,72,604	
घटाएं : मूल्य ह्रास के लिए घटाव	19,64,351		31,51,754	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखे से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	2,70,50,510	15,26,12,538	1,44,00,908	12,67,73,530
ख) जीन निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	2,37,12,272		1,80,56,495	
जोड़ें : कॉर्पस/ पूंजी निधि के लिए योगदान				
जोड़ें (घटाएं) : निवल आय की शेष राशि/ (व्यय) आय और व्यय लेखे से हस्तांतरित	1,56,80,917	3,93,93,189	56,55,777	2,37,12,272
वर्ष के अंत में शेष राशि		19,20,05,727		15,04,85,802
अनुसूची 2 – आरक्षित तथा अतिरिक्त राशियां				
1. पूंजीगत आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकनगत आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य आरक्षित राशि				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
योग		-		-

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स

नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 3. निर्धारित/स्थायी निधियां				
क. निधियों का आदि शेष	-		-	
ख. प्राप्त की गई निधियां				
1. दान/अनुदान	-		-	
2. निधियों पर किए गए निवेश से आय	-		-	
3. अन्य अतिरिक्त राशि (प्रकृति बताएं)	-		-	
योग (क+ख)	-	-	-	-
ग. उपयोग/निधियों के उद्देश्य पर व्यय				
1. पूंजी व्यय				
क. अचल सम्पत्तियां	-		-	
ख. अन्य	-		-	
2. राजस्व व्यय				
क. वेतन, मजदूरी और भत्ते	-		-	
ख. किराया	-		-	
ग. अन्य प्रशासनिक व्यय	-		-	
योग (ग)	-		-	
समाप्त वर्ष पर निवल शेष राशि (क+ख-ग)	-		-	

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

21/02

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 4. प्राप्त ऋण और उधारियां				
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. आवधिक ऋण	-	-	-	-
ख. प्राप्ति तथा बकाया ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक				
क. आवधिक ऋण	-	-	-	-
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां				
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
7. अन्य				
योग		-		-
	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 5 : अप्राप्य ऋण और उधारियां		-		-
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-		-
4. बैंक		-		-
क. आवधिक ऋण		-		-
ख. अन्य ऋण		-		-
5. संस्थाएं तथा एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बॉण्ड		-		-
7. स्थायी जमा		-		-
8. अन्य		-		-
योग		-		-
अनुसूची 6. आस्थगित ऋण देयताएं		-		-
क. पूंजी उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियों की जमानत द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां		-		-
ख. अन्य		-		-
योग		-		-

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान				
क. चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां	-		-	
2. छोटे ऋण	-		-	
क. माल के लिए	20,000		20,000	
ख. अन्य के लिए	-		-	
ग. स्टाफ के लिए				
बकाया वेतन	13,46,042		23,13,388	
बकाया मजदूरी	5,789		2,90,342	
बकाया व्यय	5,86,133		9,46,853	
बकाया सामान्य सेवा प्रभार	-		9,00,000	
यात्रा भत्ता के लिए देयता	15,228		76,617	
चिकित्सा व्यय के लिए देयता	-		-	
विद्यमान डीयूएस केन्द्र के लिए	6,15,429		3,68,629	
नए डीयूएस केन्द्रों के लिए देयता	9,72,062		6,04,631	
फील्ड जीन बैंक के लिए देयता	41,247	36,01,930	69,560	55,90,020
3. प्राप्त पेशगियां				
वार्षिक शुल्क के लिए पेशगी	1,40,000		1,32,000	
वापसी योग्य वापसी शुल्क	96,000		1,18,000	
पंजीकरण शुल्क के लिए पेशगी/पंजीकरण शुल्क	20,000		20,000	
विभिन्न शुल्कों के लिए पेशगी	19,10,000		-	
पीवीजे के लिए शुल्कों के लिए पेशगी	53,600		30,550	
निविदा के लिए जमानत राशि	1,30,000	23,49,600	1,80,000	4,80,550
4. एकत्रित ब्याज जो बकाया नहीं था				
क. सुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
ख. असुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
5. वैधानिक देयताएं				
क. ओवरड्यू	-		-	
ख. अन्य				

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंथिनाल

आर.आर. हंथिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
टीडीएस	98,779		2,06,200	
नई पेंशन योजना	1,55,087		1,52,851	
लाइसेंस शुल्क	9,233		4,829	
जीपीएफ	87,000		82,790	
जीपीएफ ऋण 2	-		25,000	
सीपीएफ	16,000		-	
व्यवसाय कर	208		208	
अन्य	11,125		5,203	
एचबीए	6,355		7,558	
सीजीएचएस	325		325	
सीजीईजीआईएस	1,925	3,86,037	2,675	4,87,639
6. अन्य चालू देयताएं				
देय राशि	2,83,516		-	
पौधा सुरक्षा भवन निर्माण के लिए पेशगी	5,00,00,000		-	
सीपीएफ निधि लेखा	1,44,000		-	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए देयता	3,16,12,000	8,20,39,516	3,17,67,500	3,17,67,500
योग (क)		8,83,77,083		3,83,25,709
ख. प्रावधान				
1. कर के लिए	-		-	
2. ग्रेच्युटी के लिए	16,94,211		12,33,264	
3. सेवानिवृत्ति पेंशन	-		-	
4. संचयी छुट्टी नकदीकरण	18,91,816		17,03,829	
5. व्यापार वारंटियां/दावे	-		-	
6. विभिन्न केन्द्रों को दिए गए अनुदानों के विरुद्ध व्यय	85,00,000		96,00,000	
7. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए व्यय	1,14,44,775		63,50,000	
योग (ख)		2,35,30,802		1,88,87,093
महा योग (क + ख)		11,19,07,885		5,72,12,802

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2/8/2

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

अनुसूची-8 : अचल परिसम्पत्तियां

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि (रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास					निवल ब्लॉक		
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्राप्ति	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	जैसा कि वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान मूल्यहास	इम्पयरमेंट क्षति	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चाल वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
क. अचल सम्पत्तियां											
1. भूमि											
क. फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टेदारी पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ईमारत											
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. सीमा क्षेत्र से इतर भूमि पर संरचनाएं	13,44,654	-	-	13,44,654	3,72,345	97,231	-	-	4,69,576	8,75,078	9,72,309
3. संयंत्र मशीनरी व उपकरण	28,70,247	13,950	-	28,84,197	13,63,301	2,28,134	-	-	15,91,435	12,92,762	15,06,945
4. वाहन	4,43,383	-	-	4,43,383	3,51,525	13,779	-	-	3,65,304	78,079	91,858
5. फर्नीचर, फिक्चर	31,24,109	5,36,340	-	36,60,449	10,10,339	2,44,531	-	-	12,54,870	24,05,579	21,13,771
6. कार्यालय उपकरण	16,23,500	30,620	-	16,54,120	4,31,362	1,21,157	-	-	5,52,519	11,01,601	11,92,137
7. कम्प्यूटर/सम्बद्ध उपकरण	1,61,54,477	1,53,409	50,975	1,62,56,911	1,44,19,107	11,03,285*	-	42,819	1,54,79,573	7,77,338	17,35,370
8. पुस्तकालय में पुस्तकें	23,30,327	18,530	-	23,48,857	23,30,327	18,530	-	-	23,48,857	-	-
9. नलकूप तथा जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य अचल सम्पत्तियां/साफ्टवेयर/सीडी	9,56,148	-	-	9,56,148	7,26,642	1,37,704	-	-	8,64,346	91,802	2,29,506
चालू वर्ष का योग	2,88,46,845	7,52,849	50,975	2,95,48,719	2,10,04,948	19,64,351	-	42,819	2,29,26,480	66,22,239	78,41,895
पिछले वर्ष	2,76,74,241	11,72,604	-	2,88,46,845	1,78,53,194	31,51,754	-	-	2,10,04,948	78,41,897	98,21,047
ख चालू पूंजीगत कार्य योग										1,78,38,219	1,78,38,219
										2,44,60,458	2,56,80,114

* Excludes depreciation withdrawn earlier years Rs. 6,851

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कू.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

21/03/15

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कू.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. प्रधान

आर.आर. हचिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कू.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 9 निर्धारित/स्थायी निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-
अनुसूची 10. निवेश – अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

21/02

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां				
क. चालू परिसम्पत्तियां				
1. वस्तु-सूची				
क. भंडार एवं पूर्जे	-		-	
ख. फुटकर औजार	-		-	
ग. मौजूद स्टॉक				
तैयार माल	-		-	
चालू कार्य	-		-	
कच्चा माल	-	-	-	-
2. छोटे ऋण				
क. 6 माह की अवधि के बकाया ऋण	-		-	
ख. अन्य	-	-	-	-
3. मौजूद नकद शेष राशि (चैक, ड्रॉफ्ट, उच्चंद, टिकटें)				
उच्चंद	44,593		15,000	
मौजूदा नकद राशि				
मौजूद टिकटें		44,593	61,248	76,248
4. बैंक में शेष राशि				
क. अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
प्राधिकरण निधि	6,49,78,652		3,18,54,153	
जीन निधि	2,41,57,718		1,60,10,435	
जमा खातों में				
प्राधिकरण निधि	8,96,15,779		4,29,91,941	
जीन निधि	1,60,20,164		64,79,925	
बचत खातों में				
सिंडिकेट बैंक (प्राधिकरण)	74,53,097		26,29,758	
एसबीआई, गुवहाटी	19,910		14,409	
एसबीआई, रांची	3,024		2,498	
बैंक – ट्रांजिट में	19,630	20,22,67,974	34,372	10,00,17,491
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
जमा खातों में	-		-	
बचत खातों में	-	-	-	-
योग (क)		20,23,12,567		10,00,93,739

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंयिनाल

आर.आर. हंयिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 11. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि				
ख. ऋण पेशगियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां				
1. ऋण				
क. स्टाफ को	3,18,133		7,000	
ख. क्रियाकलापों/उद्देश्यों से संबंधित अन्य प्रविष्टियां	-		-	
ग. अन्य, प्रधान डाकघर को पेशगी	89,438	4,07,571	1,00,000	1,07,000
2. प्राप्त मूल्य के लिए नकद या अन्य किसी रूप में वसूली योग्य पेशगियां और अन्य राशियां				
क. पूंजी लेखे में				
प्राधिकरण भवन के लिए निर्माण के लिए पेशगी राशि	52,16,630		52,16,630	
ख. पूर्व अदायगियां				
विविध पेशगी	-		1,610	
एचसीएल इन्फो प्रणाली लिमिटेड को पेशगी	-		-	
सहारा नेट कारपोरेशन को पेशगी	-		-	
पूर्व पेशगी व्यय	55,243		1,23,700	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध पेशगी	77,36,500		77,36,500	
प्रशिक्षण के लिए पेशगी	1,96,91,746		1,19,72,451	
बाहरी पक्षों के लिए पेशगी	6,03,908		7,31,948	
नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पेशगी	1,98,77,266		2,11,74,578	
	1,86,27,177		2,58,37,775	
फील्ड जीन बैंक के लिए पेशगी	5,49,528		45,41,166	
संदर्भ प्रयोगशालाओं के लिए पेशगी	22,61,611	7,46,19,609	22,61,611	7,95,97,969
ग. अन्य				
वापसी योग्य आयकर	85,559		85,559	
प्राप्य योग्य सीपीएफ	45,000		45,000	
बैंक से प्राप्य योग्य	1,44,000		-	
बैंक द्वारा गलत नामे	-		-	
राशि वसूली योग्य	-		-	
प्राप्य आय	2,83,516	5,58,075	960	1,31,519
3. संचित आय				
क. निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के निवेश से	-		-	

जारी है..

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंजिनाल
आर.आर. हंजिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ख. अन्य निवेश से	-		-	
ग ऋण तथा पेशगी से	-		-	
घ. अन्य				
i) एसबीआई में एमओडी खाते पर अर्जित ब्याज	6,67,332		14,62,261	
ii) वसूली योग्य वार्षिक शुल्क	8,88,000	15,55,332	6,26,000	20,88,261
योग (ख)		7,71,40,587		8,19,24,749
महा योग (क+ख)		27,94,53,154		18,20,18,488

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/8/2

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय		
क. तैयार माल की बिक्री	-	-
ख. कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग. रद्दी की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क. मजदूरी तथा प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख. व्यवसायी/परामर्शदायी सेवाएं	-	-
ग. एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-
घ. रखरखाव सेवाएं	-	-
ड.. अन्य	-	-
योग	-	-
अनुसूची 13- ग्रांट/अनुदान (प्राधिकरण निधि)		
केन्द्र सरकार से	15,92,47,151	15,00,23,396
राज्य सरकार से	-	-
सरकारी एजेंसियों से	-	-
संस्थाओं/कल्याण निकायों से	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से	-	-
अन्य	-	-
योग	15,92,47,151	15,00,23,396
ग्रांट/अनुदान (जीन निधि)		
प्राधिकरण निधि से योगदान	85,00,000	85,00,000
योग	85,00,000	85,00,000

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 14 : शुल्क/अंशदान – प्राधिकरण निधि		
डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,90,72,500	1,36,19,500
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	42,74,000	49,72,000
अंशदान/पीवीजे शुल्क	83,050	47,550
संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क/डीयूएस शुल्क	-	-
विरोध के नोटिस के लिए शुल्क	4,500	53,000
परामर्श शुल्क/डीयूएस शुल्क	-	-
विस्तार स्वीकृति के लिए शुल्क	-	4,500
योग	2,34,34,050	1,86,96,550
शुल्क/अंशदान – जीन निधि		
बीजों की बिक्री से हिस्सा	36,64,755	8,39,498
वार्षिक शुल्क	16,52,000	10,66,000
योग	53,16,755	19,05,498

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 15 : निवेशों से आय निर्धारित निधि से निवेश निवेश – अन्य				
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बाण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
निर्धारित/अस्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 16 : रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय		
रायल्टी से आय	-	-
प्रकाशनों से आय	-	-
अन्य	-	-
योग	-	-
अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से		
सावधि जमा (एसबीआई)	1,26,936	2,28,396
एमओडी लेखा (सकल) (एसबीआई)	21,55,258	20,55,585
सावधि जमा (सिंडिकेट बैंक)	-	21,22,977
सावधि जमा (बैंक ऑफ बड़ोदा)	23,33,116	3,48,118
सावधि जमा (बैंक ऑफ इंडिया)	30,15,779	-
सावधि जमा (देना)	13,16,229	1,43,823
गैर-अनुसूचित बैंक से	-	-
संस्थाओं से	-	-
अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
अनुसूचित बैंकों से (सिंडिकेट बैंक)	1,41,361	2,29,242
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	916	485
डाकघर बचत खाते से	-	-
अन्य	-	-
3. ऋण पर		
कर्मचारियों/स्टाफ से	-	-
अन्य	-	-
4. लेनदारों तथा अन्य प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त ब्याज	-	55,191
5. एमओडी खाते पर ब्याज	-	-
योग	90,89,595	51,83,817
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1. सावधि जमा पर		
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	1,60,608	5,40,732
बैंक ऑफ इंडिया से	10,20,164	-
एमओडी खाते पर अर्जित ब्याज	7,22,178	8,20,364
योग	19,02,950	13,61,096

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 18: अन्य आय		
अचल सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर निवल लाभ	23,703	-
अनुदान से अधिगृहीत सम्पत्तियाँ या मुफ्त प्राप्त सम्पत्तियाँ	-	-
प्राप्त किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
स्टाफ कार के उपयोग के लिए वसूली	2,240	-
पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं व कबाड़ की बिक्री	7,044	2,233
वाहन बीमे के विरुद्ध दावा प्राप्ति	-	9,867
प्रकाशनों की बिक्री	1,890	17,220
दायिका की वापसी	1,53,728	6,521
अध्यक्ष की पेंशन से वसूली	3,99,000	-
विविध आय (अन्य)	906	1,176
कम्प्यूटर उपयोग के लिए वसूली	3,600	5,400
योग	5,92,111	42,417
अन्य आय – जीन निधि		
1. अन्य आय	24,750	-
योग	24,750	-
अनुसूची 19: तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और चालू कार्य		
अंत स्टॉक		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
आदि स्टॉक		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-
अनुसूची 20: स्थापना व्यय		
मूल वेतन	67,12,809	64,42,739
बोनस	20,724	20,724
महंगाई भत्ता/ग्रेड वेतन	13,01,069	13,08,926
कम्पोजिट स्थानांतरण अनुदान	-	23,311

जारी है...

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंजिनाल

आर.आर. हंजिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
महंगाई भत्ता	84,00,424	69,89,323
परिवहन भत्ता	8,95,249	9,76,377
नई पेंशन निधि में योगदान	6,53,797	6,15,193
सीपीएफ में नियोक्ता का योगदान	80,000	-
आवास किराया भत्ता	16,03,544	18,19,139
छुट्टी नकदीकरण	2,10,290	6,13,977
छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान	2,42,179	10,11,392
छुट्टी यात्रा रियायत	2,64,577	2,92,898
बाल/बालिका शिक्षा भत्ता	1,36,470	94,642
ग्रेच्युटी	4,60,947	3,38,677
मजदूरी	31,89,636	32,13,098
ठेके पर स्टाफ का वेतन	1,14,35,887	86,83,147
स्टाफ कल्याण व्यय	1,48,636	12,719
वेतन व भत्ते - अन्य	1,10,256	1,23,818
जीन निधि में योगदान	85,00,000	85,00,000
योग	4,43,66,494	4,10,80,100

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

21/8/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 21 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)		
सिटिंग प्रभार	3,73,400	4,08,600
व्यवसायिक व्यय	11,86,795	9,89,710
बिजली तथा जल व्यय	10,03,924	11,35,054
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	57,08,813	48,65,243
डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन	11,07,380	11,60,384
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय	4,01,334	4,87,564
रखरखाव व मरम्मत	8,79,508	8,71,490
समाचार पत्र में विज्ञापन	6,38,665	51,94,983
प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों पर व्यय	5,22,065	8,58,960
प्रशिक्षण, जागरूकता व कार्यक्रमों पर व्यय	2,35,62,076	1,72,83,350
किराया, दरें और कर	3,79,509	3,79,511
सामान्य सेवा प्रभार	8,94,217	9,00,000
यात्रा व्यय — घरेलू — स्टाफ	24,10,588	31,93,056
यात्रा व्यय — घरेलू — विशेषज्ञ	20,40,607	23,76,879
बीमा	6,345	4,979
यात्रा व्यय — विदेश — स्टाफ	81,885	1,02,414
समाचार पत्र	51,679	45,538
फुटकर व्यय	22,578	57,793
किराया प्रभार — वाहन	12,28,303	12,22,269
किराया प्रभार — उपकरण	6,000	-
किराया प्रभार — समिति कक्ष	2,91,026	3,35,266
सत्कार व्यय	1,42,173	1,60,788
योग	4,29,38,870	4,20,33,831
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (जीन निधि)		
आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाउ उपयोग पर व्यय	-	50,00,000
कार्यक्रम प्रबंधन पर व्यय	-	11,10,817
योग	-	61,10,817

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

31 मार्च 2015 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 22 : अनुदानों/आर्थिक सहायता आदि पर व्यय		
संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	7,38,37,474	6,43,97,379
संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईटीपीजीआरएफए) को दिए गए योगदान	31,39,654	-
योग	7,69,77,128	6,43,97,379
अनुसूची 23 : ब्याज		
निश्चित ब्याज पर	-	-
अन्य विशिष्ट ऋण (बैंक प्रभार सहित)	2,319	407
अन्य	5,904	914
योग	8,223	1,321
जीन निधि		
अन्य विशिष्ट ऋण - बैंक प्रभारों सहित - जीन निधि	762	-
योग	762	-

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि, रुपये में

क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	प्राधिकरण निधि			
1	प्रशासनिक व्यय	7,082	40	7,042
2	प्रशिक्षण व्यय	1,32,300	18,530	1,13,770
3	विद्यमान डीयूएस	2,91,816	4,38,385	(1,46,569)
4	नए डीयूएस	12,84,632	2,23,593	10,61,039
5	संदर्भ प्रयोगशालाएं	-	-	-
6	फील्ड जीन बैंक	-	-	-
7	बाहरी पक्ष	-	13,600	(13,600)
	योग	17,15,830	6,94,148	10,21,682
पूर्वावधि समायोजन लेखा				
क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	जीन निधि			
1	ब्याज	62,776	-	62,776
	योग	62,776	-	62,776

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2/8/2

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

राशि, रुपये में

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2014-15 के दौरान जारी की गई राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	5,25,000	4,65,008	59,992	-	9,00,000	-	9,59,992
2	आचार्य एन जी रंगा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	7,78,590	7,49,785	28,805	2,42,000	6,21,785	5,50,599	3,41,991
3	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	12,22,472	7,36,170	4,86,302	-	5,00,000	8,54,954	1,31,348
4	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड (सीपीसीआरआई), केरल	83,345	-	83,345	-	12,66,655	4,09,390	9,40,610
5	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई) शिमला	8,95,216	-	8,95,216	-	5,45,412	3,94,392	10,46,236
6	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	2,59,148	-	2,59,148	-	15,53,352	12,11,687	6,00,813
7	केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पादप संस्थान, लखनऊ	1,06,804	-	1,06,804	-	4,55,696	5,58,811	3,689
8	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	3,84,010	-	3,84,010	-	-	3,54,427	29,583
9	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	4,12,927	2,13,600	1,99,327	-	-	-	1,99,327
10	केन्द्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं सीएसआरएस, बुदबुद	5,54,317	-	5,54,317	-	5,20,683	7,22,996	3,52,004
11	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	7,25,000	5,72,079	1,52,921	-	3,47,079	4,82,720	17,280
12	औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद	1,726	-	1,726	-	6,98,274	5,39,432	1,60,568
13	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	51,278	-	51,278	(51,278)	-	-	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंयिनाल

आर.आर. हंयिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2014-15 के दौरान जारी की गई राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
14	राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, त्रिची	7,04,774	4,94,923	2,09,851	-	-	-	2,09,851
15	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	(55,058)	-	(55,058)	-	21,55,058	11,94,396	9,05,604
16	सोयाबीन निदेशालय, इंदौर	1,01,349	-	1,01,349	-	4,98,651	5,61,645	38,355
17	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	43,886	-	43,886	-	7,56,114	7,69,970	30,030
18	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	9,100	-	9,100	-	21,90,900	12,78,449	9,21,551
19	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	11,65,000	7,39,685	4,25,315	-	7,24,685	8,42,326	3,07,674
20	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	1,24,295	-	124,295	-	-	-	1,24,295
21	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	2,62,454	4,33,062	(1,70,608)	3,00,000	2,70,608	3,54,349	45,651
22	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	1,99,411	-	1,99,411	-	2,59,039	2,44,737	2,13,713
23	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	5,00,000	1,41,671	3,58,329	1,00,000	-	2,91,343	1,66,986
24	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	5,14,914	2,38,013	2,76,901	(1,00,000)	1,55,856	1,99,734	1,33,023
25	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीआईएएच, बीकानेर	4,00,000	2,28,337	1,71,663	-	-	-	1,71,663
26	आईआईएचआर, हेसरगट्टा, बंगलुरु (शोभाकारी फसलें)	98,624	-	98,624	(98,624)	-	-	-
27	बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	8,68,382	-	8,68,382	-	-	8,68,382	-
28	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	4,17,065	3,29,494	87,571	-	9,22,429	6,29,137	3,80,863
29	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	3,33,550	2,91,816	41,734	-	4,08,265	3,52,746	97,253
30	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	2,51,472	-	2,51,472	-	3,48,528	5,59,910	40,090

जारी है...

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2014-15 के दौरान जारी की गई राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
31	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	3,44,035	-	3,44,035	-	25,50,000	13,16,314	15,77,721
32	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	4,98,218	-	4,98,218	-	-	-	4,98,218
33	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूमनगर	3,12,091	-	3,12,091	-	89,902	2,83,018	1,18,975
34	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1,84,117	-	1,84,117	-	65,883	-	2,50,000
35	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	6,17,500	-	6,17,500	-	5,50,205	2,36,594	9,31,111
36	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी	388,667	(52,158)	4,40,825	-	3,09,175	7,18,200	31,800
37	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी (पुणे केन्द्र)	6,51,000	-	6,51,000	-	2,00,000	5,08,693	3,42,307
38	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी (पुणे केन्द्र)	90,571	11,031	79,540	-	-	-	79,540
39	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	1,40,750	-	1,40,750	-	2,34,250	1,43,455	2,31,545
40	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	8,00,000	6,35,318	1,64,682	-	5,85,318	5,89,337	1,60,663
41	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	2,45,470	-	2,45,470	(2,75,000)	5,79,530	4,93,612	56,388
42	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर	2,00,603	-	2,00,603	-	3,49,397	5,50,000	-
43	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सोलापुर	-	-	-	-	-	-	-
44	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	2,90,302	-	2,90,302	-	5,05,869	3,18,784	4,77,387
45	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	7,53,854	6,01,507	1,52,347	-	5,47,653	4,60,492	2,39,508
46	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	17,886	-	17,886	-	8,01,114	7,58,906	60,094

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंयिनाल

आर.आर. हंयिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2014-15 के दौरान जारी की गई राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
47	परियोजना समन्वयक (कपास), सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बतूर	16,72,268	9,35,322	7,36,946	-	17,50,000	17,19,761	7,67,185
48	सीएसएयू और टी परियोजना समन्वयक (अलसी), कानपुर	4,61,894	1,91,026	2,70,868	-	1,08,974	-	3,79,842
49	परियोजना समन्वयक, जेएनएकेवीवी, तिल एवं नाइजर, जबलपुर	61,351	2,497	58,854	-	4,41,146	2,17,869	2,82,131
50	पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	5,11,508	5,09,804	1,704	-	11,07,821	4,98,639	6,10,886
51	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., इंदौर	3,91,812	-	3,91,812	-	-	-	3,91,812
52	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं. करनाल	1,58,533	-	1,58,533	-	3,66,467	3,22,299	2,02,701
53	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., कटराई	2,22,192	-	2,22,192	-	4,55,966	3,95,133	2,83,025
54	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	3,10,034	-	3,10,034	-	-	-	3,10,034
55	गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली	2,88,897	-	2,88,897	-	-	92,759	1,96,138
56	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	4,31,767	2,23,593	2,08,174	-	1,66,826	2,09,294	1,65,706
57	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर	5,63,650	-	5,63,650	-	-	87,956	4,75,694
58	कृषि विज्ञान केन्द्र, धारवाड़	(1,65,319)	-	(1,65,319)	-	14,65,319	8,76,434	4,23,566
59	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	88,191	-	88,191	-	4,36,809	3,52,840	1,72,160
60	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	10,99,206	9,03,763	1,95,443	-	6,34,949	4,89,395	3,40,997
	योग	2,35,70,099	95,95,346	1,39,74,753	1,17,098	3,04,01,642	2,58,66,316	1,86,27,177

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि, रुपयों में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2014-15 के दौरान जारी की गई राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	12,50,000	8,73,447	3,76,553	-	11,50,000	17,19,761	1,93,208
2	राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	(1,48,252)	-	(1,48,252)	-	50,000	50,000	1,48,252
3	गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल	4,13,042	-	4,13,042	(2,00,000)	8,61,958	10,86,978	11,978
4	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, नई दिल्ली	2,00,766	3,67,679	(1,66,913)	1,00,000	-	-	66,913
5	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	63,146	-	63,146	-	4,29,797	5,13,769	20,826
6	परियोजना समन्वयक बाजरा, मंदौर- राणपुर, बीकानेर	1,20,345	-	1,20,345	-	7,04,655	9,99,252	1,74,252
	योग	18,99,047	12,41,126	6,57,921	(1,00,000)	31,96,410	43,69,760	6,15,429

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

नए डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

राशि, रुपयों में

क्र. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	केन्द्र	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर		8,48,200	6,98,197	1,50,003	-	-	-	-	-	1,50,003
2	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	बीसीकेवी	65,820	-	65,820	-	-	3,84,180	-	3,44,491	1,05,509
3	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	बीसीकेवी	96,740	-	96,740	-	-	1,53,260	-	2,49,848	152
4	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	बीसीकेवी	4,50,000	4,09,982	40,018	-	-	1,94,982	-	1,66,895	68,105
5	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	सीएआरआई	1,06,828	-	1,06,828	-	-	6,93,172	-	4,36,028	3,63,972
6	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	काजरी	3,69,016	3,20,917	48,099	-	-	2,50,000	-	-	2,98,099
7	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	सीआईएच	4,75,000	2,36,439	2,38,561	-	-	-	-	-	2,38,561
8	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	सीआईएच	3,57,289	-	3,57,289	-	-	2,00,000	-	-	5,57,289
9	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	सीआईएच	23,997	-	23,997	-	-	2,76,003	-	2,81,730	18,270
10	केन्द्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बीकानेर	सीआईएच	3,28,000	2,02,216	1,25,784	-	-	2,74,216	-	3,77,748	22,252
11	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	टीएनएयू	3,25,000	-	3,25,000	-	-	2,00,000	-	-	5,25,000

जारी है..



आर.सी. अग्रवाल


महापंजीकार

पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110012



आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स

नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनल

अध्यक्ष

पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	केन्द्र	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
12	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	सीआईएच	8,83,593	5,27,039	3,56,554	-	-	-	-	2,28,337	1,28,217
13	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	सीआईएच	3,06,626	-	3,06,626	-	-	2,00,000	-	33,369	4,73,257
14	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	सीआईएच	1,01,787	-	1,01,787	-	-	1,50,000	-	1,00,799	1,50,988
15	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	सीआईएच	2,00,000	-	2,00,000	-	-	-	-	-	2,00,000
16	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	सीआईएच	88,566	-	88,566	-	-	4,11,434	-	4,35,848	64,152
17	डॉ. वाई एस परमार वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	वाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय	11,25,750	3,42,848	7,82,902	-	(5,25,000)	-	-	2,00,525	57,377
18	डॉ. बी. एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, धपोली	बीबीएसकेकेवी विश्वविद्यालय	84,349	-	84,349	-	-	3,15,651	-	3,75,873	24,127
19	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	वाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय	5,26,117	-	5,26,117	-	(1,00,000)	2,27,117	-	3,76,950	2,76,284
20	पी सी (लघु मोटे अनाज) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके परिसर, बंगलुरु	जीकेवीके	11,24,643	6,38,358	4,86,285	-	-	3,50,000	-	7,28,633	1,07,652
21	आचार्य एन जी रंग कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (लघु मोटे अनाज)	अंगारू	5,00,662	-	5,00,662	-	(2,42,000)	5,50,000	-	5,49,961	2,58,701
22	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	सीपीसीआरआई	28,658	-	28,658	-	-	4,47,992	-	4,61,592	15,058
23	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	सीपीसीआरआई	12,10,305	9,14,002	2,96,303	-	-	10,19,689	-	-	13,15,992

जारी है..

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
भारत सरकार
पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110012

21/02
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
अध्यक्ष
पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

क. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	केन्द्र	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
24	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	सीपीसीआरआई	1,29,524	1,11,254	18,270	-	-	4,46,730	-	1,99,612	2,65,388
25	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पृथुविज्ञान संभाग	आईएआरआई	3,00,780	(7,034)	3,07,814	-	(1,00,000)	-	-	-	2,07,814
26	पृथुविज्ञान अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.प. परिसर, नई दिल्ली	डीएफआर, आईएआरआई	2,79,176	3,69,966	(90,790)	-	1,95,824	-	-	-	1,05,034
27	केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	सीएस आरटीआई	7,00,000	-	7,00,000	-	-	2,50,000	-	3,14,969	6,35,031
28	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	आईजीएफ आरआई	7,30,220	-	7,30,220	-	-	3,00,000	-	7,29,165	3,01,055
29	हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	एचएफआरआई	1,91,704	-	1,91,704	-	-	-	-	-	1,91,704
30	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	आरएफआरआई	3,34,678	-	3,34,678	-	-	-	-	-	3,34,678
31	आनुवंशिक संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	35,026	-	-	35,026	-	-	-	-	-	35,026
32	डीडब्ल्यूआर, करनाल, जौ	1,00,000	-	-	1,00,000	-	(1,00,000)	-	-	-	-
33	एफ सी आर आई, कोयम्बतूर (टीएनएयू)	एफसीआरआई, टीएनएयू	3,59,259	-	3,59,259	-	-	-	-	-	3,59,259
34	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	जीबीपीयू और टी	1,72,646	-	1,72,646	-	-	5,63,354	-	3,35,959	4,00,041
35	पृथुविज्ञान संभाग भा.कृ.अ.सं.	आईएआरआई	3,96,509	-	3,96,509	-	(1,95,824)	-	1,50,685	41,600	8,400
36	सब्जी विज्ञान संभाग भा.कृ.अ.सं.	आईएआरआई	2,00,000	83,782	1,16,218	-	-	2,62,500	-	3,09,071	69,647
37	सब्जी विज्ञान संभाग भा.कृ.अ.सं.	आईएआरआई	3,75,000	2,86,255	88,745	-	-	3,11,235	-	2,17,758	1,82,222

जारी है..

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

21/02
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिरा
आर.आर. इंदिरा
अध्यक्ष
पौ.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

क. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	केन्द्र	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
38	पुष्पविज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली	आईआरआरआई	61,738	-	61,738	-	-	4,88,262	-	5,29,377	20,623
39	एन ई एच के लिए माकृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़पानी	आईसीएआर, एनईएच	2,43,446	-	2,43,446	-	-	2,50,000	-	-	4,93,446
40	वन अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर	आईएफजीटीबी	(1,26,848)	-	(1,26,848)	-	3,00,000	1,50,000	-	-	3,23,152
41	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान - कोयम्बतूर, टैक्टोना ग्रैंडिस	आईएफजीटीबी	3,58,920	-	3,58,920	-	(3,00,000)	5,54,080	-	2,61,690	3,51,310
42	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान - बंगलुरु	आईआईएचआर	3,62,356	-	3,62,356	-	(3,62,356)	-	-	-	-
43	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान - बंगलुरु	आईआईएचआर	3,30,114	-	3,30,114	-	(3,30,114)	-	-	-	-
44	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	2,29,928	-	2,29,928	-	(2,29,928)	-	-	-	-
45	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	1,00,000	-	1,00,000	-	(1,00,000)	-	-	-	-
46	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	4,85,760	4,73,648	12,112	-	(12,112)	-	-	-	-
47	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	(63,547)	-	(63,547)	-	63,547	-	-	-	-
48	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	2,36,041	-	2,36,041	-	(2,36,041)	-	-	-	-
49	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	1,29,351	-	1,29,351	-	(1,29,351)	-	-	-	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रमारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110012

21/02
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदियानल
आर.आर. इंदियानल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

क. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	केन्द्र	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
50	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	13,876	-	13,876	-	(13,876)	-	-	-	-
51	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	51,738	-	51,738	-	(51,738)	-	-	-	-
52	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	1,69,283	-	1,69,283	-	(1,69,283)	-	-	-	-
53	आई आई एस आर, काजीकोट	आईआईएचआर	2,40,771	-	2,40,771	-	-	-	-	-	2,40,771
54	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	जेएनकेवीवी	4,95,759	4,47,257	48,502	-	-	2,00,000	-	2,10,103	38,399
55	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	एनबीपीजीआर	21,554	-	21,554	-	-	2,00,000	-	36,000	1,85,554
56	राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनउ	एनबीआरआई	(4,785)	-	(4,785)	-	-	50,000	-	-	45,215
57	एनडीयू ए और टी, फैजाबाद, जौ		1,00,000	-	1,00,000	-	-	-	-	-	1,00,000
58	एन आर सी पी बी, सोलापुर		5,18,799	-	5,18,799	-	-	-	-	3,64,433	1,54,366
59	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	पीरयू	25,874	-	25,874	-	-	2,06,626	-	2,25,150	7,350
60	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (कृषक जागरूकता)		9,184	-	9,184	-	-	-	9,184	-	-
61	एस डी कृषि विश्वविद्यालय		6,18,479	-	6,18,479	-	-	2,00,000	-	-	8,18,479
62	एस एफ आर आई, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ऑर्किड		1,00,000	-	1,00,000	-	-	-	-	-	1,00,000

जारी है...

21/02

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिगाना

आर.आर. इंदिगाना

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिगाना

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स

नई दिल्ली-110012

क्र. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	केन्द्र	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
63	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	टीएनएयू	19,869	-	19,869	-	-	-	-	-	19,869
64	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर		1,82,270	-	1,82,270	-	-	4,00,000	-	3,36,750	2,45,520
65	सी आर आर आई, कटक (आनुवंशिक विविधता)		2,92,400	-	2,92,400	-	-	3,68,000	-	4,97,412	1,62,988
66	वनघाई नागापट्टनम		-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	आईआईएचआर	1,57,436	-	1,57,436	-	(1,57,436)	-	-	-	-
68	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	टीएनएयू	1,02,899	-	1,02,899	-	-	1,47,101	-	-	2,50,000
69	एन बी पी जी आर, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला		1,47,337	-	1,47,337	-	-	-	-	1,28,296	19,041
70	सी आई एस एच, लखनउ (बेल)		79,868	-	79,868	-	-	1,20,132	-	1,78,639	21,361
71	एन बी आर आई, लखनउ (ग्लोडियोलस किस्में)		(20,337)	-	(20,337)	-	-	50,000	-	-	29,663
72	प्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान, पटना		(16,457)	-	(16,457)	16,457	-	-	-	-	-
73	जीन अभियान, नई दिल्ली		(1,14,083)	-	(1,14,083)	1,14,083	-	4,40,000	-	-	4,40,000
74	एम पी के वी, राहुड़ी	एमपीकेवी	2,50,000	-	2,50,000	-	-	10,00,000	-	6,06,259	6,43,741
75	नियंत्रक, आई जी के वी, रायपुर (प्रलेखन)		-	-	-	-	-	6,60,000	-	3,78,610	2,81,390
76	नियंत्रक, यूएएस, बंगलुरु		-	-	-	-	-	5,00,000	-	4,53,332	46,668

जारी है:-

21/02
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं. प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110012

क. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	केन्द्र	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
77	नियंत्रक, डॉ. बी. एस. के. के. वी. धपोली		-	-	-	-	-	5,00,000	-	95,423	4,04,577
78	निदेशक, एनईएच क्षेत्र, बड़पानी		-	-	-	-	-	10,00,000	-	-	10,00,000
79	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे		-	-	-	-	1,00,000	-	-	-	1,00,000
80	निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली (सब्जी विज्ञान संभाग)		-	-	-	-	-	7,73,330	-	3,74,583	3,98,747
81	निदेशक, काजरी, जोधपुर		-	-	-	-	-	4,10,000	-	2,41,436	1,68,564
82	नियंत्रक, यूएएस, धारवाड़		-	-	-	-	-	11,98,000	-	6,36,485	5,61,515
83	नियंत्रक, एमपीकेवी, राहुड़ी		-	-	-	-	-	4,50,000	-	-	4,50,000
84	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन		-	3,61,277	(3,61,277)	-	5,25,000	5,00,277	-	5,69,295	94,705
85	नियंत्रक, वाई एस पी यू एच और एफ, सोलन		-	-	-	-	1,00,000	-	-	-	1,00,000
86	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	नियंत्रक, एसडीएस, एसके नागपुर, गुजरात (मुंदरा)		-	-	-	-	-	4,00,000	-	-	4,00,000
88	नियंत्रक, एसकेएनएस, जोगनेर		-	-	-	-	-	2,00,000	-	-	2,00,000
89	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु		-	-	-	-	17,78,590	47,31,539	-	52,36,823	12,73,306
90	नियंत्रक, आईजीकेवी, रायपुर		-	-	-	-	-	5,00,000	-	2,27,370	2,72,630
91	नियंत्रक, टीआरए, टोकलई		-	-	-	-	-	1,00,000	-	-	1,00,000
92	निदेशक, यूपीएसआई, कोयम्बतूर		-	-	-	-	-	1,00,000	-	-	1,00,000
93	परियोजना निदेशक, डीटीआर और डीसीटीबी, कुर्सयांग		-	-	-	-	-	1,00,000	-	-	1,00,000
94	निदेशक, एनआरसी, काजू		-	-	-	-	-	6,00,000	-	-	6,00,000
	योग		1,97,20,461	64,16,403	1,33,04,058	1,30,540	(2,92,098)	2,59,78,862	1,59,869	1,90,84,227	1,98,77,266

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110012

21/02
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिरा
आर.आर. इंदिरा
अध्यक्ष
पौ.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

नए डीयूएस केन्द्रों को भुगतान की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि (रुपयों में)

क्र. सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 तथा पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय का पुनरांकन	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी कुल राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	77,061	-	77,061	-	-	72,939	1,92,000	42,000
2	निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	(36,526)	-	(36,526)	-	-	-	2,89,971	3,26,497
3	सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	4,34,956	5,66,239	(1,31,283)	-	-	1,50,000	1,98,916	1,80,199
4	केएयू, त्रिशूर	4,00,000	5,91,205	(1,91,205)	-	-	-	-	1,91,205
5	क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	1,96,043	-	1,96,043	-	-	-	2,18,517	22,474
6	एनबीआरआई, लखनऊ - बोगनवीलिया	(2,03,889)	-	(2,03,889)	-	-	50,000	-	1,53,889
7	टोकलाई प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	(11,235)	-	(11,235)	-	-	-	-	11,235
8	सीआईटीएच, श्रीनगर	(6,924)	-	(6,924)	-	-	3,06,924	3,44,563	44,563
	योग	8,49,486	11,57,444	(3,07,958)	-	-	5,79,863	12,43,967	9,72,062

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंजिनाल

आर.आर. हंजिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110012

संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि रुपयों में

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	एनबीपीजीआर, जैवरसायनविज्ञान परीक्षण, नई दिल्ली	81,978	-	81,978	-	-	-	81,978
2	सीआरआरआई, कटक	49,714	-	49,714	-	-	-	49,714
3	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली	2,09,719	-	2,09,719	-	-	-	2,09,719
4	भा.कृ.अ.प. इकाई, सीआईसीआर, नागपुर	5,69,384	-	5,69,384	-	-	-	5,69,384
5	परियोजना निदेशक, डीओआर, हैदराबाद	1,46,945	-	1,46,945	-	-	-	1,46,945
6	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु	2,03,871	-	2,03,871	-	-	-	2,03,871
7	परियोजना निदेशक, डीएमआर, नई दिल्ली	10,00,000	-	10,00,000	-	-	-	10,00,000
	योग	22,61,611	-	22,61,611	-	-	-	22,61,611

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि, रुपये में

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंतशेष
1	बीएयू	(69,560)	25,470	(95,030)	-	6,64,030	4,33,058	1,35,942
2	डॉ. बाला साहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ	46,692	-	46,692	-	9,00,000	9,36,244	10,448
3	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	10,45,900	11,88,973	(1,43,073)	-	6,00,000	3,97,487	59,440
4	एणबीपीजीआर	6,23,940	-	6,23,940	-	5,50,000	8,30,242	3,43,698
	योग	16,46,972	12,14,443	4,32,529	-	27,14,030	25,97,031	5,49,528

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकारएन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकारपौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकारएन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्षपौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकारएन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि, रुपयों में

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2014 को आदि शेष	2013-14 तथा पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्र से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	काजरी	28,24,634	-	28,24,634	-	2,00,000	30,65,881	41,247
	योग	28,24,634	-	28,24,634	-	2,00,000	30,65,881	41,247

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2/8/15

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी

राशि रुपयों में

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारु	80,000	-	80,000	-	7,20,000	-	3,20,000	4,80,000
2	अपर निदेशक (एफसी), कृषि विभाग, सिविकम 136/15	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
3	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात (36/15)	80,000	25,000	55,000	-	80,000	-	53,181	81,819
4	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, एएयू	4,00,000	-	4,00,000	-	12,00,000	-	40,000	15,60,000
5	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (136/15) (बीएचयू)	1,60,000	-	1,60,000	-	80,000	-	-	2,40,000
6	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, बीसीकेवी	1,054	-	1,054	-	80,000	-	80,000	1,054
7	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, (136/15) भागलपुर	1,60,000	1,60,000	-	-	1,60,000	-	1,60,000	-
8	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, (136/15) रांची	1,79,417	1,60,000	19,417	-	6,40,000	-	6,40,000	19,417
9	बी एम एस प्रशिक्षण संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
10	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, सी ए आर आई	3,20,000	1,34,808	1,85,192	-	80,000	-	-	2,65,192
11	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, सी ए यू	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
12	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (136/15)	-	-	-	-	2,40,000	-	80,000	1,60,000
13	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर, सीआईसीआर	39,600	-	39,600	-	-	-	-	39,600
14	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर, सीआईसीआर	1,60,000	-	1,60,000	-	80,000	-	70,240	1,69,760
15	केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ, सीआईएमएपी	-	-	-	-	-	-	-	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
16	केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
17	सी ई ओ, ग्रामीण विकास टस्ट नोएडा (136/15)	4,800	-	4,800	-	75,200	-	80,000	-
18	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, सीसीएसएचएयू	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
19	नियंत्रक, बीएसकेकेवी, धपोली (136/15)	80,000	58,380	21,620	-	1,60,000	-	88,799	92,821
20	नियंत्रक, च. एस के के विश्वविद्यालय, पालमपुर (136/15)	3,20,000	2,91,057	28,943	-	4,80,000	-	2,74,074	2,34,869
21	नियंत्रक, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (136/15)	1,14,701	-	1,14,701	-	80,000	-	79,902	1,14,799
22	नियंत्रक, आर ए यू, बीकानेर (136/15)	1,60,000	-	1,60,000	-	-	80,000	-	80,000
23	नियंत्रक, एस एफ आर आई, अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
24	नियंत्रक, एस के यू एस टी, राजौरी, जम्मू	4,18,879	2,93,463	1,25,416	-	2,31,985	-	80,000	2,77,401
25	नियंत्रक, वी एम एम के वी, महाराष्ट्र	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
26	नियंत्रक, सी के वी, छत्तीसगढ़ (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
27	नियंत्रक, आई जी के वी, रायपुर	40,551	-	40,551	-	3,19,961	-	3,19,198	41,314
28	नियंत्रक, आई जी के वी वी, रायपुर (136/15)	6,40,000	5,05,682	1,34,318	-	5,60,000	-	4,78,643	2,15,675
29	नियंत्रक, जे एंड के वी वी, जबलपुर (136/15)	2,62,261	-	2,62,261	-	5,60,000	-	5,22,164	3,00,097
30	नियंत्रक, के वी ए और एफ एस यू, बिदर	746	-	746	-	80,000	-	80,000	746
31	नियंत्रक, एम पी यू ए और टी, उदयपुर	30	-	30	-	4,00,000	-	2,00,597	1,99,433
32	नियंत्रक, एस बी वी पी यू ए और टी, मेरठ (136/15)	-	-	-	-	3,20,000	-	69,389	2,50,611
33	नियंत्रक, एस डी ए यू, (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
34	नियंत्रक, शोरे कश्मीर ए एस टी विश्वविद्यालय, जम्मू	-	-	-	-	-	-	-	-
35	नियंत्रक, शोरे कश्मीर ए एस टी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1,80,000	-	1,80,000	-	7,19,948	-	5,13,579	3,86,369
36	नियंत्रक, टी एन यू वी और ए एस, चेन्नई (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
37	नियंत्रक, यू ए एस, रायचुर	1,60,000	-	1,60,000	-	3,19,256	-	1,58,683	3,20,573
38	नियंत्रक, वी वी यू, पश्चिम बंगाल (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
39	नियंत्रक, एस के आर ए यू बीकानेर	77,875	-	77,875	-	4,00,000	-	52,459	4,25,416
40	सी पी सी आर आई, केरल (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
41	सी आर यू ए एफ, बैरकपुर	1,250	-	1,250	-	-	-	-	1,250
42	सी आर आर आई, कटक	80,000	50,900	29,100	-	1,60,000	29,100	1,55,916	4,084
43	सी एस ए यू और टी, कानपुर	1,60,000	-	1,60,000	-	2,40,000	-	79,040	3,20,960
44	सी एस के एच पी के वी	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-
45	डीन अनुसंधान, ओ यू ए टी	-	-	-	-	-	-	-	-
46	दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट (136/15)	22	-	22	-	2,40,000	22	2,40,000	-
47	निदेशक, कृषि निदेशालय, मेघालय (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
48	निदेशक, सी पी आर आई, शिमला, मोदीपुरम	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
49	कृषि में महिलाओं पर निदेशालय, भुवनेश्वर (136/15)	25,000	-	25,000	-	-	25,000	-	-
50	निदेशक, डी एस आर, इंदौर (136/15)	16,423	-	16,423	-	-	-	-	16,423
51	निदेशक, हॉलीकास वी टी आई, हजारीबाग (136/14)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
52	निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर - गोआ	25,000	-	25,000	-	80,000	25,000	50,250	29,750

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
53	निदेशक, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, झांसी (136/15)	29,060	-	29,060	-	80,000	29,060	-	80,000
54	निदेशक, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची (136/14)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
55	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (136/15)	80,000	66,924	13,076	-	-	-	-	13,076
56	निदेशक, एन आर सी एस एस, अजमेर (136/14)	-	-	-	-	-	-	-	-
57	निदेशक, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण (136/15)	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
58	निदेशक, वी पी के ए एस, अल्मोड़ा	2,40,000	70,000	1,70,000	-	2,40,000	-	-	4,10,000
59	निदेशक, काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिणा कन्नड़	-	-	-	-	-	-	-	-
60	निदेशक, काजरी, जोधपुर	1,65,000	-	1,65,000	-	1,55,000	-	79,233	2,40,767
61	निदेशक, सी आई ए एच, बीकानेर	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
62	निदेशक, सी आई एस एच, लखनऊ	1,11,170	-	1,11,170	-	-	31,170	-	80,000
63	निदेशक, सी आई टी एच, श्रीनगर	2,40,000	-	2,40,000	-	-	-	-	2,40,000
64	निदेशक, सी एम एफ आर आई, कोट्वि	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
65	निदेशक, क्रीडा परिसर, हैदराबाद (136/15)	-	(18,530)	18,530	-	80,000	24,589	73,941	-
66	निदेशक, सी टी सी आर आइ, त्रिवेन्द्रम	1,23,302	-	1,23,302	-	80,000	43,302	1,60,000	-
67	निदेशक, कृषि विभाग, मिजोरम (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
68	निदेशक, कृषि विभाग, नागालैंड (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
69	निदेशक, अरुणाचल प्रदेश कृषि निदेशालय, (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
70	निदेशक, एन ई एच के लिए भा.कृ.अ.प. बड़ापानी	-	-	-	-	3,20,000	-	80,000	2,40,000

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
71	निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
72	निदेशक, आई आई वी आर, वाराणसी	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
73	निदेशक, एन बी पी जी आर, नई दिल्ली (136/15)	32	-	32	-	-	-	-	32
74	निदेशक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र (136/15)	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
75	निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, भुवनेश्वर, ओडिशा	-	-	-	-	4,80,000	-	4,80,000	-
76	निदेशक कृषि पुरुचेरी	35,000	-	35,000	-	-	35,000	-	-
77	निदेशक, सी पी सी आर आई, कैसरगोड (136/15)	80,000	-	80,000	-	1,60,000	-	80,000	1,60,000
78	निदेशक, कृषि निदेशालय, गोआ	80,000	-	80,000	-	-	40,581	26,730	12,689
79	निदेशक, भा.कृ.अ.प. परिसर, ओल्ड गोआ (136/15)	10,050	-	10,050	-	80,000	10,050	-	80,000
80	निदेशक, आई सी ए आर, आरसी, एन ई एच. क्षेत्र उनियम, मेघालय	5,60,000	80,000	4,80,000	-	-	-	-	4,80,000
81	निदेशक, आई आई ए वी, रांची (136/15)	878	-	878	-	-	-	-	878
82	निदेशक, आई आई एच आर, बुगलुरु (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
83	निदेशक, आई आई पी आर, कानपुर चना	-	-	-	-	-	-	-	-
84	निदेशक, आई आई पी आर, कानपुर, मुलार्प	-	-	-	-	-	-	-	-
85	निदेशक, आइ आई एस आर, कालीकट (136/15)	14,628	-	14,628	-	80,000	14,628	-	80,000
86	निदेशक, एम एस एस आर एफ, चैन्नई	1	-	1	-	-	-	-	1
87	निदेशक, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेजदीफेमा (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
88	निदेशक, अनुसंधान, सी एच आई ए पी एस, इलाहाबाद (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल
आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
89	निदेशक, डी एम आर, भरतपुर	81	-	81	-	-	81	-	-
90	निदेशक, डी एम आर, भरतपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
91	निदेशक, आई ए आर आई, नई दिल्ली	1,04,003	-	1,04,003	-	80,000	-	34,137	1,49,866
92	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात	5,985	-	5,985	-	-	-	-	5,985
93	औषधीय एवं संगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय	1,60,000	-	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000
94	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	8,440	-	8,440	-	-	-	-	8,440
95	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर, पुणे	19,338	-	19,338	-	-	-	-	19,338
96	डी डब्ल्यू आर, करनाल	-	-	-	-	-	-	-	-
97	पूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल, सी ए डी सी, कोलकाता (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
98	एफ आर आई, देहरादून (136/15)	1,60,000	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
99	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	1,94,541	-	1,94,541	-	3,20,000	30,889	-	4,83,652
100	अध्यक्ष, सी एच ई एस, वेजलपुर, गोधरा	-	-	-	-	-	-	-	-
101	आई सी ए आर अनुसंधान पटना (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	आई सी ए आर इकाई, डी एस आर, हैदराबाद	22,297	22,297	-	-	-	-	-	-
103	आई सी ए आर इकाई, एन आर सी पी, सोलापुर (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	आई जी एफ आर आई, झांसी (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
105	आई आई एच आर, बंगलुरु, शोभाकारी फसल प्रभाग	1,60,000	78,785	81,215	-	-	1,215	-	80,000

जारी है...

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंजिनाल

आर.आर. हंजिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
106	आई आई एच आर, बंगलुरु, सब्जी फसल प्रभाग	1,56,532	-	1,56,532	-	-	-	-	1,56,532
107	आई आई पी आर, कानपुर	-	-	-	-	80,000	-	76,295	3,705
108	आई आई एस आर, कालीकट	15,373	-	15,373	-	80,000	-	-	95,373
109	आई आई एस आर लखनऊ (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
110	आई आई वी आर, वाराणसी	2,246	-	2,246	-	-	-	-	2,246
111	जे ए यू, जूनागढ़	41,392	-	41,392	-	1,18,608	-	91,196	68,804
112	संयुक्त निदेशक, भा.कृ.अ.प. का एन ई एच के लिए अनुसंधान परिसर, त्रिपुरा	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
113	कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड, (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
114	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशुर, केएयू	2,89,806	-	2,89,806	-	3,08,987	22,400	-	5,76,393
115	मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा, एनएसकेजेयूएटी	-	-	-	-	-	-	-	-
116	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, एम ए यू	60,000	-	60,000	-	-	-	-	60,000
117	एम पी के वी, राहुड़ी	82,273	80,000	2,273	-	2,40,000	2,273	1,60,000	80,000
118	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (136/15) एन डी ए यू टी	1,60,000	-	1,60,000	-	80,000	-	-	2,40,000
119	नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, एन डी	-	-	-	-	-	-	-	-
120	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-
121	एन ए यू, नवसारी, गुजरात (136/15)	81,150	-	81,150	-	-	-	-	81,150
122	एन आर सी, सिटस	16,537	-	16,537	-	-	-	-	16,537
123	एन आर सी, सोयाबीन	-	-	-	-	-	-	-	-
124	एन आर सी - ऑर्किड, सिक्किम	1,18,950	38,950	80,000	-	-	-	-	80,000

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
125	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (136/15), ओयूएटी	3,21,200	2,93,600	27,600	-	10,38,800	13,800	5,50,200	5,02,400
126	पीडी, डी एस आर, मउ, उत्तर प्रदेश (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
127	पी ए यू, लुधियाना	-	-	-	-	2,40,000	-	2,22,017	17,983
128	पी डी, डीडब्ल्यूआर, (136/15)	-	-	-	-	2,40,000	-	1,97,694	42,306
129	पी डी के वी, अकोला	2,00,000	-	2,00,000	-	1,60,000	-	-	3,60,000
130	प्रधान निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, तदौंग	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
131	कार्यक्रम समन्वयक, आर ए एस एस ए आर के वी के, चित्तूर (136/15)	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
132	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, पश्चिम मिदनापुर	-	-	-	-	-	-	-	-
133	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, पुलकोटी, कर्नाटक (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
134	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, शारदानगर, बारामती (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
135	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, अहमदनगर (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
136	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, अमरावती (136/15)	30,062	30,062	-	-	-	-	-	-
137	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, जालना (136/15)	1,054	-	1,054	-	-	-	-	1,054
138	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, धलाई (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
139	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इरोड, तमिल नाडु	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
140	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इदुक्की, केरल (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
141	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के जयपुर (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
142	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के कुरनूल	-	-	-	-	79,576	-	-	79,576

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
143	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, सुप्तार, कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-
144	कार्यक्रम समन्वयक, केवीके, तिरुवल्ला, केरल (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
145	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, उदयपुर (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
146	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, विवेकानंदपुरम, (136/15)	1,422	-	1,422	-	-	-	-	1,422
147	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, पश्चिम त्रिपुरा (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
148	कार्यक्रम समन्वयक, यू पी ए एस आई - के वी के, नीलगिरी, तमिल नाडु	-	-	-	-	-	-	-	-
149	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, मजगांव, सतना (136/15)	-	-	-	-	1,60,000	-	1,60,000	-
150	परियोजना निदेशक, पुष्पविज्ञान निदेशालय, आई ए आर आई, नई दिल्ली (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
151	परियोजना समन्वयक, के वी के, जमकुटा (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
152	परियोजना निदेशक, डी एम आर, नई दिल्ली	78,359	-	78,359	-	-	-	-	78,359
153	परियोजना निदेशक, डी आर आर, हैदराबाद	4,00,000	-	4,00,000	-	-	-	-	4,00,000
154	राजा दिनेश सिंह के वी के, प्रतापगढ़, (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
155	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, आर ए यू	-	-	-	-	-	-	-	-
156	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर, आर ए यू	-	-	-	-	-	-	-	-
157	राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यापीठ, ग्वालियर, आर वी एस के वी वी	1,60,000	1,60,000	-	-	6,31,761	-	5,60,000	71,761
158	राम कृष्ण आश्रम, दक्षिण 24 परगना (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंजिनाल

आर.आर. हंजिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
159	आर ए यू. पूसा,	80,000	-	80,000	-	320,000	-	224,660	175,340
160	एस बी आई कोयम्बतूर	-	-	-	-	-	-	-	-
161	सचिव, राम कृष्ण मिशन आश्रम, रांची (136/15)	-	-	-	-	-	-	-	-
162	सचिव, विकास भारती, गुमला (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	79,818	182
163	सचिव, एफ वी सी के, बंगलुरु	-	-	-	-	-	-	-	-
164	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, टीएनएयू	50	-	50	-	6,39,950	-	3,99,219	2,40,781
165	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1,606	-	1,606	-	-	-	-	1,606
166	टक्कोली प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	-	-	-	-	-	-	-	-
167	यू ए और एच एस, शिमोगा, कर्नाटक (136/15)	8,881	-	8,881	-	-	-	-	8,881
168	यू ए एस, बागलाकोट (136/15)	13,431	-	13,431	-	-	-	-	13,431
169	यू ए एस, धारवाड़ वानिकी महाविद्यालय, सिरसी (136/15)	23,264	-	23,264	-	56,736	-	80,000	-
170	यू ए एस, जी वी के वी	-	-	-	-	5,51,119	-	71,413	4,79,706
171	यू वी के वी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल (136/15)	1,60,000	1,57,617	2,383	-	2,40,000	2,383	80,000	1,60,000
172	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	4,23,610	-	4,23,610	-	3,06,450	-	2,68,281	4,61,779
173	यू यू एच और एफ, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
174	डब्ल्यू वी यू ए और एफ एस, कोलकाता (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
175	वाई एस पी यू एच और एफ	2,53,838	80,000	1,73,838	-	4,80,000	-	2,39,871	4,13,967
176	वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
177	आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल 8, बुगलुरु	-	-	-	-	80,000	-	78,510	1,490

जारी है...

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
178	राष्ट्रीय जीवविज्ञान अकादमी, चैन्नई	-	-	-	-	2,00,000	-	-	2,00,000
179	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. आंचल, लुधियाना, पंजाब	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
180	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. आंचल-2, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	80,000	1,962	78,038	-
181	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. आंचल-3, बड़ापानी, मेघालय	-	-	-	-	80,000	-	31,930	48,070
182	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प., अंचल-4, कानपुर, उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
183	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प., अंचल-5, हैदराबाद	-	-	-	-	80,000	-	76,694	3,306
184	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प., अंचल-6, जोधपुर	-	-	-	-	80,000	24,471	55,529	-
185	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प., अंचल-7, जबलपुर	-	-	-	-	80,000	-	74,467	5,533
186	निदेशक (कृषि), अरुणाचल प्रदेश सरकार, कामेन्द्र, लोअर, सुबनश्री, गेकू कोड़क), अपर सुबनश्री	-	-	-	-	4,00,000	-	3,20,000	80,000
187	एनआरसी याक (भा.कृ.अ.प.),दिरांक, केवीके - मोमोंग	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
188	के वी के, पापूमपेर	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
189	निदेशक, एनआरसी (सूअर), रानी, गुवहाटी - केवीके गोपालपाड़ा	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
190	जेएफसीपीसीएस, उचीओउ, बिशनपुर, मणिपुर	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
191	एफईईडीएस, हेमबुंग, सेनापति, मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
192	कृषि निदेशालय, मणिपुर सरकार, थोउबाल, मणिपुर	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
193	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, मिजोरम	-	-	-	-	2,40,000	-	2,40,000	-
194	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, नागालैंड सरकार, कोहिमा, दुयेसांग	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
195	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, मेघालय सरकार, शिलांग	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
196	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, ग्याबा	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
197	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, त्रिपुरा सरकार	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
198	राजा अवधेश सिंह मैमोरियल सोसायटी, प्रतापगढ़	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
199	सरपंज समाज, नई दिल्ली (ओरेया)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
200	ग्राम निर्वाण मण्डल सर्वोदय आश्रम	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
201	श्रम भारती खादी ग्राम, जमुई, बिहार	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
202	वनवासी सेवा केन्द्र, भाबुआ, बिहार	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
203	राम कृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
204	पल्ली शिक्षा भवन, बोलपुर, शांति निकेतन	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
205	कल्याण, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
206	राम कृष्ण मिशन विवेकानंद	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
207	समता सेवा केन्द्र, सीतामढी बिहार	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
208	निदेशक, आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	-	-	-	-	80,000	-	72,052	7,948
209	ग्राम नव निर्वाण समिति, जयप्रकाश नगर, जम्मीकुंटा, करीमनगर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
210	निदेशक, सीटीआरआई, आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
211	श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डेवलपमेंट, गड्डापल्ली, नालगोंडा, साइड	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
212	भगवततुला चैरिटेबल ट्रस्ट विशाखापटनम	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
213	प्रवार इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन नेचुरल एंड सोशल साइंस, अहमदनगर, पायरेस	-	-	-	-	80,000	4,019	75,981	-
214	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली - बीड	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
215	सतपुरा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव, जामोद, बुलगाणा	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
216	संत रामदेव सेवा भावी संस्था, हिंगोली	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
217	कृषि विज्ञान केन्द्र, लातूर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
218	डॉ. हेडगेवार सेवा समिति, नंदुरबार	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
219	यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, यशवंत राव चव्हाण	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
220	शाबरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर	-	-	-	-	80,000	-	70,716	9,284
221	प्रगति ट्रस्ट, जयपुर - चूर्णी	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
222	विद्या भवन सोसायटी, फतेहपुरा, उदयपुर - काजरी, जोधपुर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
223	नियंत्रक, एनएयू, गुजरात (के वी के), नवसारी, नर्मदा	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
224	सोसायटी टू अपलिफ्ट रुरल इकोनामी (स्योर) बाड़मेर	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
225	नियंत्रक, वनस्थली विश्वविद्यालय, टोंक	-	-	-	-	80,000	-	76,775	3,225

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंयिनाल

आर.आर. हंयिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
226	लोक भारती ग्रामीण विद्यापीठ, सनोसारा, भावनगर	-	-	-	-	80,000	-	47,780	32,220
227	अम्बूजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडीनर	-	-	-	-	80,000	-	47,050	32,950
228	मेहसाना जिला, शिक्षा फाउंडेशन, गणपत विद्यानगर, गुजरात	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
229	मंगल भारती, स्थान एवं डाकघर गोलागामदी, बदोदरा, गुजरात	-	-	-	-	80,000	-	75,470	4,530
230	सेंटर फार रूरल डेवलपमेंट एंड एन्वायरमेंट, भोपाल - सेहोर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
231	अध्यक्ष, दीन दयाल कृषि विकास एवं अनुसंधान समिति, भोपाल - रायसेन डीकेएएस	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
232	अध्यक्ष, केएच पाटिल, एग्रीकल्चरल साइंसिस फाउंडेशन, गदग -कुलकोटी	-	-	-	-	80,000	-	79,962	38
233	पूर्व सचिव, मर्यादा, बंगलुरु - इरोड	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
234	अध्यक्ष, टीआरटीएफ, देवनगरे, कर्नाटक - कदलीवना	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
235	निदेशक, मित्र निकेतन, बेलानाड, तिरुअनंतपुरम - मित्र निकेतन	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
236	अध्यक्ष, कृषिचयन एजेंसी फॉर रूरल पेटनामहिता डेवलपमेंट, तिरुवुल्ला - कोलभोम सीएएफआरपीडी	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
237	गुजरात विद्यापीठ अहमदनगर, 136/15 - रांधेजा	-	-	-	-	45,299	-	45,299	-
238	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 136/15, एएमबीएचईटीआई	-	-	-	-	49,938	-	46,463	3,475

जारी है...

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
239	एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, बारामती, पुणे - शारदा नगर	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
240	मराठवाड़ा शेती सहाय मंडल, औरंगाबाद - जालना	-	-	-	-	78,946	-	-	78,946
241	श्रान साधना अमरावती - बादनेरे दुर्गापुर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
242	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
243		-	-	-	-	1,60,000	-	80,000	80,000
244	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	78,578	-	-	78,578
245	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	26,730	53,270
246	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
247	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	76,548	3,452
248	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
249	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
250	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
251	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
252	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएएसएस	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-

जारी है..

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंजिनाल

आर.आर. हंजिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	2013-14 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01-04-2014 को संशोधित आदिशेष	अन्यकेन्द्रों से/को हस्तांतरण	2014-15 के दौरान जारी राशि	वापसी	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
253	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएसएस	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
254	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएसएस	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
255	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएसएस	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000
256	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएसएस	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
257	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा नियम, चित्तूर - आरएसएस	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
योग		1,19,72,451	32,18,995	87,53,456	80,000	2,55,26,098	4,90,995	1,41,76,813	1,96,91,746

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

बाहरी व्यक्तियों को पेशगी

राशि रुपयों में

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2014 को आदिशेष	भीतरी/बाहरी हस्तांतरण	पिछले वर्ष काव्यय	2014-15 के दौरान जारी राशि	2014-15 के दौरान व्यय	31-03-2015 को अंत शेष
1	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान	-		-	8,15,413	8,15,413	-
2	ईएल टेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	-		-	42,978	42,978	-
3	भा.कृ.अ.प., इकाई जैडपीडी-7, जबलपुर	-			2,00,000	2,00,000	-
4	आईआईएसआर, कोझीकोड	-			1,00,000	1,00,000	-
5	इंडियन सोसायटी फॉर जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग	-		-	1,50,000	1,50,000	-
6	इंडियन सोसायटी ऑफ सीड स्पाइसिस, अजमेर	-		-	50,000	50,000	-
7	जेएयू, जूनागढ	-		-	1,80,000	1,80,000	-
8	मान सर्विस स्टेशन	-		-	20,000	20,000	-
9	श्री पार्थसारथी	28,000		28,000	-	-	-
10	मैसर्स लाइट कंपनी	-		-	13,950	13,950	-
11	एमएसएसआरएफ, आईवाईएससी	-			1,25,000	1,25,000	-
12	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	-		-	77,800	77,800	-
13	एनएनएस इवेंटस एंड एकजीवीशंस प्राइवेट लिमिटेड	-		-	1,38,743	1,38,743	-
14	एनएसएफआई, ग्लोबल एग्रील कनेक्ट 2011	-		-	-	-	-
15	सहारा नेट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	3,03,908		-	-	-	3,03,908
16	सचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन	-		-	80,000	80,000	-
17	सचिव, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	20,000		-	65,000	85,000	-
18	स्वामी पब्लिशर्स	-		-	580	580	-
19	ब्राइट ला हाउस	-		-	2,880	2,880	-
20	यूएस, बंगलुरु	3,30,000	(80,000)	-	-	-	2,50,000
21	यूनिवर्सल ला पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड	-		-	9,100	9,100	-
22	वीनस इंटरप्राइजिस	-		-	14,800	14,800	-
23	जैडपीडी, भा.कृ.अ.प. इकाई, अंचल-7, जबलपुर, मध्य प्रदेश	40		-	-	40	-
24	जैडपीडी अंचल-3, भा.कृ.अ.प., उमियम, मेघालय	50,000		-	-	-	50,000
योग		7,31,948	(80,000)	28,000	20,86,244	21,06,284	6,03,908

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार


एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

स्टाफ को पेशगी

राशि, रुपयों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम (सर्वश्री)	2014-15 के दौरान पेशगी
1	रबी रमन प्रधान / डीडीओ	2,45,570
2	मनोज श्रीवास्तव	6,61,000
3	तेजवीर सिंह	2,24,015
4	रवि प्रकाश	1,60,000
5	ए सी शर्मा – गुवहाटी	32,000
6	डी एस मिश्रा	47,000
7	धर्मेन्द्र सिंह पिलानिया	47,860
8	डी एस राजगणेश	98,952
9	आर सी अग्रवाल	2,61,500
10	दीपल रॉय चौधरी	2,30,572
11	आर आर हंचिनाल	2,68,524
12	सुश्री सिप्रा माथुर	16,700
	योग	22,93,693



आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार


एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012



आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

अदा की गई वैधानिक देयताएं

राशि, रुपयों में

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	सी जी ई जी आई एस	24,930
2	सी जी एच एस	3,900
3	जी पी एफ - 108/02	10,51,714
4	सी पी एफ	72,000
5	जी पी एफ ऋण 1	-
6	जी पी एफ ऋण 2	75,000
7	एच बी ए	84,681
8	लाइसेंस शुल्क	47,847
9	टीडीएस - विज्ञापन	-
10	टीडीएस - ठेकेदार	3,87,315
11	टीडीएस - व्यवसायिक	1,26,970
12	टीडीएस - वेतन	19,16,838
13	एन पी एस	6,63,152
14	अन्य - 109/04	10,300
15	अन्य - 108/12	91,478
16	व्यवसाय कर	2,496
	योग	45,58,621

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकारएन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकारपौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकारएन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्षपौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकारएन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी वापसी

उराशि, रुपयों में

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	प्राप्त राशि
1	नियंत्रक, आरएयू, बीकानेर - 136/15	80,000
2	सी आर आर आई, कटक	29,100
3	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट - 136/15	22
4	निदेशक, कृषि में महिलाओं का निदेशालय, भुवनेश्वर 136/15	25,000
5	निदेशक, भा.कृ.अ.प. गोआ के लिए अनुसंधान परिसर - 136/14	25,000
6	निदेशक, एनआरसी - कृषि वानिकी, झांसी - 136/15	29,060
7	निदेशक, सीआईएसएच, लखनऊ	31,170
8	निदेशक, क्रीडा परिसर, हैदराबाद 136/15	24,589
9	निदेशक, सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम	43,302
10	निदेशक, कृषि पुदुचेरी	35,000
11	निदेशक, कृषि निदेशालय, गोवा - 136/15	40,581
12	निदेशक, भा.कृ.अ.प. परिसर पुराना गोवा, 136/15	10,050
13	निदेशक, आई आई एस आर, कालीकट- 136/15	14,628
14	निदेशक, डीआरएमआर, भरतपुर	81
15	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	30,889
16	आई आई एच आर, बंगलुरु - शोभाकारी फसलें प्रभाग	1,215
17	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचुर	22,400
18	एमपीकेवी, राहुड़ी	2,273
19	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन नैचुरल एंड सोशल साइंस, अहमदनगर, प्रीयेंस	4,019
20	यूबीकेवी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल - 136/15	2,383
21	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. अंचल-6, जोधपुर	24,471
22	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. अंचल-2, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1,962
23	ओडिशा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-136/15	13,800
	योग	4,90,995

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

स्टाफ से पेशगी की वापसी

राशि, रुपयों में

क.सं.	लाभार्थी का नाम (सर्वश्री)	प्राप्त राशि
1	रबी रमण प्रधान / डीडीओ	41,142
2	मनोज श्रीवास्तव	2,79,778
3	तेजबीर सिंह	53,965
4	रवि प्रकाश	1,05,686
5	डी एस मिश्रा	1,073
6	धर्मेन्द्र सिंह पिलानिया	5,516
7	डी एस राजगणेश	3,542
8	दीपल रॉय चौधरी	27,458
9	आर सी अग्रवाल	39,088
10	ए सी शर्मा—(गुहाटी)	12,427
11	आर आर हंचिनाल	1,22,524
	योग	6,92,199

आर.आर. प्रधान
आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

21/02
आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल
आर.आर. हंचिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

अनुसूची 24

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पीपीवी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियां

1. लेखाकरण प्रणाली

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के संदर्भ में लागू होते हैं तथा लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की निर्धारित विधियों को अपनाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्रभार में लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों की लागत कुल मूल्यघटस को घटा कर लगाई जाती है। लागत में खरीद मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी प्रत्यक्ष ऐसी लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को लाने में लगी हो या उसे कार्यशील बनाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे उस अवधि से संबंधित हो जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हैं।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण पूंजी आरक्षण में नामे किए गए मूल्य पर किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

3. मूल्यघटस

- क) मूल्यघटस आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए गए मूल्य पर लिखा जाता है।
- ख) 5000/-₹. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यघटसित मान लिया जाता है।

4. पट्टेदारी

पट्टेदारी किराए पट्टेदारी की शर्तों के अनुसार अदा किए जाते हैं।

5. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि को लेखा अवधि से पहले पहचाना जाता है और इसे अनुमानित या वसूली योग्य राशि के प्रभार के रूप में दर्ज किया जाता है।

6. फुटकर व्यय

आगे लाया गया राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

7. सरकारी अनुदान/योगदान

(क) एकमुश्त अनुदान सहायता पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त होती है। अनुदान सहायता से सृजित द्यसशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों पर भी मूल्यघटस कॉर्पस/पूंजीगत निधि के विरुद्ध लिया जाता है जो उस परिसम्पत्ति के

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

उपयोगी जीवन के समाप्त होने के बाद होते हैं तथा इन्हें आय तथा व्यय लेखे में आय के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्व व्यय से अधिक अनुदान की शेष राशि को वर्ष के अंत में कॉर्पस/पूँजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। डीयूएस केन्द्रों तथा अन्य को अनुदान सहायता/अनुदान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद दिए जाते हैं तथा निर्धारित फार्मेट में लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पेशगी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। ये प्रमाण पत्र संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्य से प्राप्त होने चाहिए। वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्रों/अन्य लेखों के अंतर्गत अनुदान सहायता में नामे किया जाता है जो अग्रिम लेखे के रूप में होता है तथा पेशगी की शेष बची राशि वर्ष के अंतिम दिन अनप्रयुक्त अनुदान के रूप में बनी रहती है।

(ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को संबंधित चालू वर्ष में लेखाकृत किया जाता है तथा इसे पूर्वावधि समायोजन लेखा के रूप में लेखाकृत किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि अदा की गई पेशगी राशि से अधिक है, प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की गई है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की गई है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया गया है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को मौजूद विनिमय दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।

9. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

क) नई पेंशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।

ख) ग्रेच्युटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता वास्तविक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

10. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

किसी नाप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा से संबंधित प्रावधानों को तब लागू किया जाता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऐसा करना आवश्यक हो और यह संभावना व्यक्त की गई हो कि संसाधन फालतू हो सकते हैं। आकस्मिक देयताओं को पहचाना नहीं जाता है बल्कि लेखे के एक भाग के रूप में टिप्पणियों में दर्ज किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

12. आय और व्यय

इस पैराग्राफ के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को वास्तविक आधार पर लेखे के विशिष्ट और प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।

ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- घ) तुलन-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या खुलासे की विधि का पता लगाने में भौतिकता की संकल्पना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

13. राजस्व पहचान

- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- ख) (प) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है।
- (पप) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा अदा की गई अग्रिम राशि को और संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।
- ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को देयता के रूप में माना जाता है जो दावेदारों को देय दायिता के रूप में तब माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।
- घ) पेशगी प्राप्त किया गया पीवीजे का चंदा अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व अदा किए गए लेखे के रूप में दर्ज किया जाता है।
- ड.) ब्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

14. पृथक खुलासा

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक से खुलासे किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि में' वाली वे मदें जो ऐसे आय अथवा व्यय का हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।
- ख) 'अति-असामान्य' मदें जो उस आय या व्यय की भौतिक मदें होती हैं जो उन घटनाओं या लेन-देनों से सृजित होती हैं जो सम्पूर्णता की दृष्टि से सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें जल्दी-जल्दी या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'फुटकर आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'फुटकर व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखा शीर्ष में अलग से दर्शाया जाता है।

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2012

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंजिनाल

आर.आर. हंजिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

अनुसूची 25

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- (i) उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जो आवेदकों ने राजपत्र अधिसूचना के पूर्व दायर किया था और जिसकी राशि 29.15 लाख रुपये के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय किया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
- (ii) कर्मचारियों/पक्षों द्वारा दाखिल किए गए दावों/न्यायालय मुकदमों के संदर्भ में देयता की मात्रा जांचने योग्य नहीं होती है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पोर्टल का डिजाइन तैयार करने और विकास के लिए सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन को 26.04.2012 को रु.10,81,909 की राशि का आपूर्ति आदेश दिया गया था। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान कुल लागत का 25 प्रतिशत अर्थात् 3,03,908 रुपये की कुल राशि अदा की गई शेष 75 प्रतिशत राशि अर्थात् 7,78,001 रुपये दिनांक 31.03.2015 को अदा की जानी हैं क्योंकि पोर्टल की डिजाइनिंग और उसका विकास एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी के आंकड़ा केन्द्र पर परीक्षण, होस्टिंग और कार्यान्वयन संबंधी तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। तथापि, मैसर्स सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपे गए सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इसी प्रकार, मैसर्स एडवेंचर को 'कृषक अधिकार कृषि विकास' पर एक फिल्म तैयार करने और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अनुवाद के लिए पत्र संख्या पीपीवी और एफआरए/21-25/2006/1264 दिनांक 14.05.2013 के द्वारा 4,40,451 रुपये का आपूर्ति आदेश दिया गया। तथापि यह कार्य अभी पूरा होना है क्योंकि पीपीवी और एफआरए द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय भाषाओं में हुए अनुवाद पर अपनी टिप्पणियां नहीं प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार, पूंजी लेखे पर प्रतिबद्धताओं को 31.3.2015 को 12,18,452 रुपये की राशि के संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3. पट्टे संबंधी देनदारियां

- (क) एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण की कार्यालय इमारत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राधिकरण द्वारा मासिक किराया 22,459 की दर से किराए पर ली गई है।
- (ख) गुवाहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों के लिए गुवाहाटी में इमारत कार्यालय हेतु असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू) से 30.12.2011 को 60,000 रु. प्रति वर्ष की दर से किराये पर लेने से संबंधित एक पट्टादारी समझौता लागू किया गया है और इसी प्रकार रांची में 50,000 रु. प्रतिवर्ष की दर से कार्यालय इमारत के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के साथ 01.09.2012 को एक पट्टा समझौता लागू किया गया है।
- (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 को 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हरभजन इन्कलेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि पीपीवी और एफआरए को आबंटित की है। यह अवधि आपसी समझौते पर और भी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रु. प्रति वर्ष किराये की नाम मात्र दर पर एक लीज़ डीड लागू की गई है।

4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

12वीं पंचवर्षीय योजना के ईएफसी ज्ञापन में पीपीपी और एफआरए के हिस्से के रूप में पौधा किस्म भवन निर्माण हेतु प्रावस्था के आधार पर 62.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/13/2

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

संस्थान में हरभजन सिंह इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480 वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर पीपीवी और एफआरए को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने ईमारत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है और आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर ली हैं। इस दौरान योजना आयोग ने प्रस्तावित पौधा किस्म भवन में एनआरएए व डीएसी को समायोजित करने की संभावना तलाशने के लिए यह मामला कृषि एवं सहकारिता विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त तलों के निर्माण की संभावना को तलाशने के लिए 24 अगस्त 2012 को डीएसी, एनआरएए, पीपीवी और एफआरए तथा यूपीआरएनलि. के अधिकारियों के बीच एक सम्मिलित बैठक आयोजित हुई। बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि तीन अतिरिक्त तल तथा एक भूमिगत तल निर्मित किया जाएगा जिसमें से 2 तल एनआरएए और एक तल कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए होगा। ईमारत के क्षेत्र तथा लागत में साझीदारी के लिए पीपीवी और एफआरए तथा राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के बीच 07.04.2014 को एक समझौता ज्ञापन लागू किया गया।

इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दो तलों के निर्माण की लागत, भूमिगत तल के निर्धारित भाग व अन्य सामान्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय को निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा के आधार पर राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने नीलामी, ड्राइंग तैयार करने और आकलन आदि जैसी प्रक्रियाओं पर अभी तक जो भी कार्य किया है वह पुनः किया जाएगा तथा डिजाइनों, ड्राइंगों, आकलन की बोली से संबंधित दस्तावेजों, संशोधित अनापत्तियों आदि पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने इमारत के निर्माण के आरंभिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए ले आउट प्लान को पुनः तैयार करने में होने वाला व्यय का दावा जो 187.40 लाख रुपये है और जिसे यूपीआरएन लिमिटेड ने किया है, उस राशि का भुगतान एनआरएए द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद वार्षिक सामान्य रखरखाव तथा अनुसंधान संबंधी व्यय में इमारत के निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा आधार पर एनआरएए की भी हिस्सेदारी होगी।

5. अचल सम्पत्तियां

भौतिक सत्यापन के दौरान एक बारकोड प्रिंटर, एक बारकोड स्कैनर, एक विश्लेषण तुला और एक नमी विश्लेषक जिनका कुल मूल्य 2,33,794 रुपये है, गायब पाए गए तथा एक बीज शुष्कक फालतू था। इस मामले में जांच पड़ताल और निर्णय के लंबित होने के कारण इस संबंध में कोई लेखाकरण नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने डीओपीटी के परिपत्र संख्या 7(4) ई-कोआर्ड/2011, दिनांक 10.01.2012 के आधार पर गणना करके प्राधिकरण के एक कर्मचारी से 31859 रुपये वसूल किए। लेखा बहियों में 2014-15 में आवश्यक लेखाकरण समायोजन भी कर दिए गए हैं।

6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां

(क) प्राधिकरण ने डाक घर से फ्रैंकिंग मशीन ली है और उसे एकमुश्त राशि की टिकटों से भर दिया है। दिनांक 02.03.2015 को यह मशीन खराब हो गई तथा इस मशीन में शेष बची टिकटों की राशि 89,068.25 रुपये थी। नई मशीन लगाने के लिए कार्रवाई की गई है तथा जीपीओ से 89,068.25 रुपये की राशि का दावा किया गया है। टिकटों की दैनिक खपत के लिए रखे गए रजिस्टर के आधार पर टिकटों पर हुए कुल व्यय को संबंधित व्यय में जमा किया गया है और 02.03.2015 तक टिकटों पर खर्च की गई को इसी में दर्ज किया गया है। डाक खर्च को अब स्थापित की गई नई डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से उच्चतम के रूप में वहन किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2015 को कोई टिकट हाथ में नहीं थी।

(ख) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से प्राप्य 45,000/-रु. की राशि पेशगी के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के पूर्व डीयूएस परीक्षण शुल्क के रूप में 3,16,12,000 और अदा की गई 77,36,500 रुपये की पेशगी राशि की देयता का समायोजन अभी होना बाकी है क्योंकि प्राप्त किए गए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अलग-अलग मामलों तथा संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को अदा की जाने वाली पेशगियों को एक साथ जोड़ते हुए डीयूएस परीक्षण

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

रिपोर्टों की तिथि से उनके द्वारा प्राप्त होने वाली राशि को समायोजित होने की प्रक्रिया चलन में है।

- (घ) डीयूएस केन्द्रों में पेशगियों के रूप में 01.04.2014 को आदिशेष 2,54,69,146 रु. था और वर्ष 2014-15 में विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 3,35,98,052 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2014-15 के लिए 3,02,36,076 रुपये के और वर्ष 2013-14 के लिए 1,08,36,472 रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2014-15 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त किए गए। शेष 1,86,27,177 रु. की राशि 31.03.2015 को बकाया है क्योंकि संबंधित डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होना बाकी है – **अनुबंध ख और ग।**
- (ड.) दिनांक 01.04.2014 को आदिशेष के रूप में नए डीयूएस केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 2,05,69,947 रु. थी तथा वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 2,65,58,725 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2014-15 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2014-15 के लिए 2,03,28,194 रुपये और वर्ष 2013-14 के लिए 75,73,847 रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 1,98,77,266 रुपये की राशि 31.03.2015 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं – **अनुबंध घ व डं।**
- (च) दिनांक 01.04.2014 को संदर्भ प्रयोगशालाओं को दी गई पेशगी की राशि 22,61,611 रु. आदिशेष के रूप में बकाया थी क्योंकि संबंधित संदर्भ प्रयोगशालाओं से राशि की वापसी या उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे – अनुबंध च।
- (छ) दिनांक 01.04.2014 को आदिशेष के रूप में फील्ड जीन बैंकों को दी गई पेशगी की राशि 44,71,606 रु. थी तथा वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न फील्ड जीन बैंकों को 29,14,030 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2014-15 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2014-15 के लिए 56,62,912 रुपये और वर्ष 2013-14 के लिए 12,14,443 रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 5,49,528 रुपये की राशि 31.03.2015 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं – **अनुबंध छ एवं ज।**
- (ज) दिनांक 01.04.2014 को आदिशेष के रूप में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 1,19,72,451 रु. थी तथा वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को 2,55,26,098 रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2013-14 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2014-15 के लिए 1,41,76,813 रुपये और वर्ष 2013-14 के लिए 32,18,995 रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 1,96,91,746 रुपये की राशि 31.03.2015 को बकाया है क्योंकि संबंधित प्रशिक्षण परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं – **अनुबंध झ।**
- (झ) वर्ष के दौरान कुछ डीयूएस परीक्षण/परियोजना केन्द्रों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के अनुसार अगले वर्ष के लिए समायोजित निधियों से 16,28,738 रुपये अधिक था। चूंकि यह अतिरिक्त व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, अतः वांछित देयता सृजित की गई है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी और यदि किया गया अतिरिक्त व्यय तर्कसंगत नहीं पाया गया तो सृजित की गई देयता को वापस ले लिया जाएगा।
- (ट) वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के अनुसार 59,192 रु. की राशि को कुछ डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं और 18,530 रुपये की राशि को प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 2013-14 के दौरान उपयोग किया गया दिखाया गया है। पिछले वर्ष उपयोग में लाई गई राशि के रूप में दर्शायी गई अतिरिक्त राशि को 01.04.2014 को पेशगी के रूप में आदिशेष के रूप में वापस ले लिया गया है।
- (ठ) कुछ मामलों में पेशगियों को अस्थाई उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर समायोजित किया गया है इसके अलावा बकाया पेशगियों को डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुष्ट किए जाने पर समायोजित किया जाएगा।
- (ड) डीयूएस केन्द्रों, नए डीयूएस केन्द्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों से वर्ष 2014-15 के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के लंबित होने के कारण संस्थाओं/संगठनों को अनुदान के विरुद्ध व्यय के लिए एकमुश्त देने का प्रावधान किया गया है तथा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित क्रमशः 85,00,000 और 82,00,000 रुपये की राशि को आकलित आधार पर पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार समायोजित किया गया है।

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

(ण) वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकृत होने की तिथि से एक वर्ष पूरे होने पर बकाया माना गया है। तदनुसार प्राप्य वार्षिक शुल्क, पहले से प्राप्त व वापसी योग्य राशि को 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार लेखाकृत किया गया है। किसी भी वार्षिक शुल्क को उस स्थिति में प्राप्त नहीं माना गया है जब वार्षिक शुल्क की बकाया तिथि के पहले पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि समाप्त हो गई हो। इसके अतिरिक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2009 के अनुसार प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य और रायल्टी के कुछ प्रतिशत भाग को अदा करने की अपेक्षा की जाती है। दिनांक 31.03.2015 तक प्राधिकरण ने केवल तीस से 46,80,236.00 रुपये ही प्राप्त किए। बकाया राशि के लिए आय का लेखाकरण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि प्रजनकों या एजेंटों और लाइसेंसों से बिक्री मूल्य का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था और इन मामलों में वांछित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई प्रजनक/एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों के दौरान शुल्क जमा कराने में असमर्थ हो जाता है तो एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और यदि इस नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाए तो सभी देय सुरक्षाएं जब्त कर ली हुई घोषित की जाती हैं। दिनांक 31.03.2015 को 57 मामलों में लगातार दो वर्षों का वार्षिक शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

7. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआरए 2001 की धारा 91 के अनुसार "प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है" अतः वर्तमान और अदा की जाने वाली आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8. उच्चंत

मुख्यालय में 31.3.2015 को मुख्यालय में 25,000/-रु. तथा रांची कार्यालय में 19,593/-रु. की उच्चंत राशि बकाया थी लेकिन गुवाहाटी के मामले में कोई भी उच्चंत राशि बकाया नहीं थी।

9. जीन निधि

वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने प्राधिकरण निधि से 85,00,000 रु. की राशि प्राप्त की तथा ब्याज, वार्षिक शुल्क व अन्य आय को खाते में लेते हुए जीन निधि खाते में 1,56,80,917 रु. की शेष राशि हस्तांतरित की।

10. चालू देयताएं

(क) दिनांक 31.03.2014 को देय 1,52,851 रु. की राशि में से वर्ष के दौरान 1,17,698 रु. की राशि अदा की गई और 35,153 रु. की राशि शेष रही, जो समायोजन की प्रक्रिया में है। वर्ष 2014-15 के दौरान एनपीएस के रूप में 1,19,934 रु. की राशि देय है।

11. सरकारी अनुदान

भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस-12) के अनुसार ह्यसमान परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुमानों को इतर आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान आय और व्यय लेखे में मान्यता प्रदान की जाती है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूंजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 7,52,849 रुपये है और वर्ष के दौरान वसूला गया मूल्यह्रास 19,64,351 रुपये है जो संबंधित आय और व्यय लेखे के नामों से कॉर्पस निधि से घटा दिया गया है।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) ग्रेच्युटी : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(रुपयों में)

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2182

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

(क) 01.04.2014 को देनदारी का वर्तमान मूल्य	12,33,264
(ख) वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आय और व्यय लेखे में मान्यता प्राप्त व्यय	4,60,947
(ग) 31.03.2015 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	16,94,211

बीमांकित अवधारणाएं

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि

छूट की दर	7.75 प्रतिशत
वेतन में भावी बढ़ोतरी	5.25 प्रतिशत

(ख) छुट्टी नकदीकरण : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण में एएस-15(आर) के अनुसार निर्धारित होता है।

31.03.2015 को प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

रुपयों में

(क) दिनांक 01.04.2014 को देनदारी का वर्तमान मूल्य	17,03,829
(ख) वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आय और व्यय लेखे में मान्यता प्राप्त व्यय	1,87,987
(ग) 31.03.2015 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	18,91,816

बीमांकित अवधारणाएं

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि

छूट की दर	7.75 प्रतिशत
वेतन में भावी बढ़ोतरी	5.25 प्रतिशत

13. विदेशी मुद्रा लेन-देन


वर्ष 2014 और 2015 के दौरान प्राधिकरण ने द्विवार्षिक योगदान के रूप में 50619,23 अमेरिकी डालर अदा किए जो 31,39,654 रुपये के बराबर है। प्राधिकरण ने एफएओ से अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 6,000 अमेरिकी डालर प्राप्त किए जो 3,71,940 रुपये के बराबर हैं।

14. पूर्वावधि समायोजन लेखा

वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगियों का समायोजन वर्ष 2012-13 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2012-13 या इससे पूर्व की अवधि से संबंधित वर्ष 2014-15 को प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को, पूर्वावधि व्यय शीर्षों के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। वर्ष 2013-14 से संबंधित जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2014-15 में प्राप्त हुए उन्हें प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को लेखे के प्रत्यक्ष शीर्ष के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, गैर दायिता वाली पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए संबंधित वर्षों में कोई दायिता सृजित नहीं की गई तथा इन्हें भी पूर्व अवधि समायोजन लेखे में लेखाकृत किया गया है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े पुनर-समूहित/पुनर-वर्गीकृत किए गए हैं जो चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप हैं।



आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार


एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012



आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-15/2015-16/

दिनांक: 29.10.15

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
कृषि मन्त्रालय,
कृषि एव सहकारिता विभाग
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2014-15 के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय,

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरी

निदेशक (ए एम जी -IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-15/2015-16/825

दिनांक: 29.10.15

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महापंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स, (टोडा पुर के सामने) डी.पी.एस मार्ग, नई दिल्ली 110012को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक:यथोपरी


निदेशक (ए एम जी -IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-15/2015-16/

दिनांक: 29.10.15

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट -एबी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:यथोपरी


निदेशक (ए एम जी -IV)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य और शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पीपीवी और एफआरए के संलग्न तुलन-पत्र और वर्ष में समाप्त आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों की लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणों में पीपीवी और एफआरए की 2 इकाइयों/शाखाओं के लेखे भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण पीपीवी और एफआरए प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है।
2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखापरीक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाने, लेखाकरण मानकों और खुलासा के मानदंडों आदि पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (स्वामित्व तथा नियमितता) तथा दक्षता-एवं-कार्य निष्पादन आदि के साथ-साथ वित्तीय लेन-देनों के पहलुओं पर लेखापरीक्षा संबंधी पर्यवेक्षण निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किए गए हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखापरीक्षा मानकों के साथ की है। इन मानकों में यह वांछित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त वित्तीय विवरण प्राप्त हुए हैं या नहीं इसे तर्कसंगत रूप से सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों और खुलासों की परीक्षण आधार पर जांच शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आंकलनों व लेखापरीक्षा में प्रयुक्त सिद्धांतों का मूल्यांकन भी शामिल है और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सकल प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचार को तर्कसंगत आधार मिलता है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जरूरी हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समरूप फार्मेट में तैयार किए गए हैं।
 - (iii) हमारे विचार से पीपीवी और एफआरए द्वारा जैसा कि ऐसे बही खातों की हमारी जांच से दिखाई देता है, पीपीवी और एफआर अधिनियम 1962 की धारा 62(1) के अंतर्गत उचित बहीखाते तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।
 - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

(क) प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे

क.1 प्राप्तियां

पीपीवी और एफआरए ने पौधा सुरक्षा भवन के निर्माण हेतु दिनांक 2.4.2015 को 7 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की (अनुदान सहायता : 2.00 करोड़ रुपये तथा पादप सुरक्षा भवन निर्माण के लिए 5.0 करोड़ रुपये पेशगी के रूप में), लेकिन इसे प्राप्तियां तथा अदायगी लेखों में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्ति तथा बैंक तुलन के रूप में 7 करोड़ रुपये का ओवर स्टेटेमेंट हुआ।


ख. अनुदान सहायता


पीपीवी और एफआरए ने 2014-15 के दौरान 1600 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की है (इसमें मार्च 2015 में स्वीकृत 2.00 करोड़ रुपये प्राप्त राशि शामिल है) और इस प्रकार आदिशेष 0.09 लाख रुपये है। कुल 1600.09 लाख रुपये की निधि से 1585.53 लाख रुपयों का उपयोग हुआ और शेष 14.56 लाख रुपये की राशि खर्च न होने के कारण शेष रही।


- (v) पूर्व पैराग्राफों में किए गए अपने पर्यवेक्षणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय व व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों के लेखे बहीखातों के अनुसार हैं।
- (vi) हमारे विचार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कथित वित्तीय विवरण और उपरोक्त वर्णित उल्लेखनीय मामले व लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप होने का सच्चा और ईमानदार स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।
- क. जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है यह पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 31 मार्च 2015 को उल्लिखित मामलों के अनुसार है; और
- ख. जहां तक समाप्त वर्ष की तिथि पर आय और व्यय लेखे का संबंध है वहां यह वर्ष की समाप्त तिथि को अतिरिक्त राशि के मामले में अनुकूल है।


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29.10.2015


महानिदेशक, लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय


आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012


आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012


आर.आर. हंजिनाल
अध्यक्ष
पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार
एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

अनुबंध

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षक विभाग नहीं है। तथापि, वर्ष 2014-15 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है।

3. अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करने की प्रणाली

वर्ष 2014-15 के लिए अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और 2.34 लाख रुपये के मूल्य की अचल सम्पत्तियां गायब पाई गईं। इस मामले में जांच प्रगति पर है।

4. विषय सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

लेखन सामग्री तथा उपभोग योग्य सामग्री आदि का मार्च 2015 तक भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई भौतिक कमी रिपोर्ट नहीं की गई।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

दिनांक 31.03.2015 को वैधानिक देय के मामले में 6 माह से अधिक की अवधि का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

2015

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

प्रबंधन का उत्तर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर बिंदुवार उत्तर

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां	उत्तर
<p>1. हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य और शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पीपीवी और एफआरए के संलग्न तुलन-पत्र और वर्ष में समाप्त आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों की लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणों में पीपीवी और एफआरए की 2 इकाइयों/शाखाओं के लेखे भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण पीपीवी और एफआरए प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है।</p>	
<p>2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखापरीक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाने, लेखाकरण मानकों और खुलासा के मानदंडों आदि पर भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (स्वामित्व तथा नियमितता) तथा दक्षता-एवं-कार्य निष्पादन आदि के साथ-साथ वित्तीय लेन-देनों के पहलुओं पर लेखापरीक्षा संबंधी पर्यवेक्षण निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किए गए हैं।</p>	
<p>3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखापरीक्षा मानकों के साथ की है। इन मानकों में यह वांछित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त वित्तीय विवरण प्राप्त हुए हैं या नहीं इसे तर्कसंगत रूप से सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों और खुलासों की परीक्षण आधार पर जांच शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आंकलनों व लेखापरीक्षा में प्रयुक्त सिद्धांतों का मूल्यांकन भी शामिल है और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सकल प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचार को तर्कसंगत आधार मिलता है।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>
<p>4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :</p> <p>(i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जरूरी हैं।</p> <p>(ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समरूप फार्मेट में तैयार किए गए हैं।</p> <p>(iii) हमारे विचार से पीपीवी और एफआरए द्वारा जैसा कि ऐसे बही खातों की हमारी जांच से दिखाई देता है, पीपीवी और एफआर अधिनियम 1962 की धारा 62(1) के अंतर्गत उचित बहीखाते तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।</p> <p>(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :</p>	

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान

प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स

नई दिल्ली-110012

2/10/15

आर.सी. अग्रवाल

महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली-110012

(क) प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे

क.1 प्राप्तियां

पीपीवी और एफआरए ने पौधा सुरक्षा भवन के निर्माण हेतु दिनांक 24.2.2015 को 7 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की (अनुदान सहायता : 2.00 करोड़ रुपये तथा पादप सुरक्षा भवन निर्माण के लिए 5.0 करोड़ रुपये पेशगी के रूप में), लेकिन इसे प्राप्तियां तथा अदायगी लेखों में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्ति तथा बैंक तुलन के रूप में 7 करोड़ रुपये का ओवर स्टेटेमेंट हुआ।

ख. अनुदान सहायता

पीपीवी और एफआरए ने 2014-15 के दौरान 1600 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की है (इसमें मार्च 2015 में स्वीकृत 2.00 करोड़ रुपये प्राप्त राशि शामिल है) और इस प्रकार आदिशेष 0.09 लाख रुपये है। कुल 1600.09 लाख रुपये की निधि से 1585.53 लाख रुपयों का उपयोग हुआ और शेष 14.56 लाख रुपये की राशि खर्च न होने के कारण शेष रही।


तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है

(v) पूर्व पैराग्राफों में किए गए अपने पर्यवेक्षणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय व व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों के लेखे बहीखातों के अनुसार हैं।

(vi) हमारे विचार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कथित वित्तीय विवरण और उपरोक्त वर्णित उल्लेखनीय मामले व लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप होने का सच्चा और ईमानदार स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

क. जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है यह पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 31 मार्च 2015 को उल्लिखित मामलों के अनुसार है; और

ख. जहां तक समाप्त वर्ष की तिथि पर आय और व्यय लेखे का संबंध है वहां यह वर्ष की समाप्त तिथि को अतिरिक्त राशि के मामले में अनुकूल है।



आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार


एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012



आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012



आर.आर. हिंगिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां	उत्तर
<p>1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षक विभाग नहीं है। तथापि, वर्ष 2014-15 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की गई।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के कारण, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।</p>
<p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है।</p>	
<p>3. अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करने की प्रणाली</p> <p>वर्ष 2014-15 के लिए अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और 2.34 लाख रुपये के मूल्य की अचल सम्पत्तियां गायब पाई गईं। इस मामले में जांच प्रगति पर है।</p>	
<p>4. विषय सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <p>लेखन सामग्री तथा उपभोग योग्य सामग्री आदि का मार्च 2015 तक भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई भौतिक कमी रिपोर्ट नहीं की गई।</p>	
<p>5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता</p> <p>दिनांक 31.03.2015 को वैधानिक देय के मामले में 6 माह से अधिक की अवधि का कोई भुगतान बकाया नहीं था।</p>	

आर.आर. प्रधान

आर.आर. प्रधान
प्रभारी (वित्त)

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स
नई दिल्ली-110012

21/02

आर.सी. अग्रवाल
महापंजीकार

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंघिनाल

आर.आर. हंघिनाल
अध्यक्ष

पौ.कि.कृ.अ.सं., प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. काम्प्लैक्स,
नई दिल्ली-110012